Con. 3. VII. 34. 49
250

अंक 7
संख्या 34

बृहस्पतिवार,
6 जनवरी
सन् 1949 ई.

भारतीय विधान-परिषद्

के

वाद-विवाद

की

सरकारी रिपोर्ट

(हिन्दी संस्करण)

विषय-सूची

पृष्ठ

विधान का मसौदा-(जारी)..... 2285-2355
[नवीन अनुच्छेद 147-क, अनुच्छेद 148 तथा 149 पर विचार]

भारतीय विधान-परिषद्

बृहस्पतिवार, 6 जनवरी, सन् 1949 ई.

उपाध्यक्ष (डॉ. एच.सी. मुकर्जी) की अध्यक्षता में कांस्टीट्यूशन हाल, नई दिल्ली में प्रातः 10 बजे विधान-परिषद् की बैठक हुई।

संविधान का मसौदा–(जारी)

नवीन अनुच्छेद 47–क

***उपाध्यक्ष** (डॉ. एच.सी. मुकर्जी): हम अनुच्छेद 147 पर वाद-विवाद प्रारम्भ करेंगे। परन्तु मुझे यह सूचना मिली है कि अनुच्छेद 147-क उसी अध्याय के अन्तर्गत आता है अतः सभा की अनुमति से हम अनुच्छेद 147-क को ले सकते हैं।

सभा के समक्ष यह प्रस्ताव है:

"कि अनुच्छेद 147–क विधान का अंग बने।"

यह प्रस्ताव प्रो. के.टी. शाह के नाम से है।

***प्रो. के.टी. शाह** (बिहार : जनरल): उपाध्यक्ष महोदय,...

***उपाध्यक्ष:** मैं समझता हूं कि केन्द्र के सम्बन्ध में एक ऐसा ही संशोधन इस सभा ने अस्वीकार कर दिया था।

***प्रो. के.टी. शाह:** जी हां। परन्तु सम्मानपूर्वक मैं यह संकेत करता हूं कि वह प्रस्ताव समस्त शक्तियों को पृथक् करने के हेतु था, और इस प्रस्ताव में केवल विधायी शक्ति को पृथक् करने का प्रयत्न किया गया है।

***उपाध्यक्ष:** ठीक है, आप अपना संशोधन पेश कर सकते हैं।

---

*इस संकेत का अर्थ है कि यह अंग्रेजी वक्तृता का हिन्दी रूपान्तर है।

*प्रो. के.टी. शाहः श्रीमान्, मैं प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं:

"कि अनुच्छेद 148 के पूर्व निम्न नवीन अनुच्छेद 147क प्रविष्ट किया जाये:

'The Legislature of every State shall be wholly separate from and independent of the Executive or the Judiciary in the State.'

(प्रत्येक राज्य का विधान-मण्डल उस राज्य की कार्यपालिका अथवा न्यायपालिका से पूर्णतया पृथक् तथा स्वतन्त्र रहेगा।)

श्रीमान्, यद्यपि इसमें सन्देह नहीं कि यह मेरा विचार है कि अपने को संघानीय और प्रजातन्त्रात्मक कहे जाने वाले राज्यों में संगठित सरकार की शक्तियां परस्पर एक-दूसरे से पृथक् होनी चाहियें, तो भी मैंने जानबूझ कर अपने संशोधन की ऐसी रचना की है कि सरकार का ढचरा और दिशाओं में चाहे वैसा ही बना रहे जैसा कि है पर स्थानीय विधान-मण्डल कार्यपालिका और न्यायपालिका से पृथक् किया जा सके। दोनों का पृथक्करण इस उद्देश्य से है कि विधान-मण्डल स्वतन्त्रता प्राप्त कर सके तथा न्यायपालिका भी विधान-मण्डल के किसी प्रभाव से मुक्त रहे। इस अवसर पर—तथा इस सम्बन्ध में विधान—मण्डल की अपेक्षा न्यायपालिका के पृथक्करण पर न्यायपालिका के स्वातन्त्र्य पर—मैं अधिक जोर दूंगा। जब हम न्यायपालिका के सम्बन्ध में विचार करेंगे उस समय न्यायपालिका का निश्चित रूप से उल्लेख करते हुए मैं इसी प्रकार के संशोधन प्रस्तुत करूंगा। इस समय, मैं केवल यह बताना चाहता हूं कि जब कि कानून बनाने वाला निकाय अपने कानूनी सलाहकारों अथवा अपने सहायक प्रावैधिक मसौदा बनाने वालों से परामर्श तथा सम्पर्क स्थापित कर कानून बनाता है तो उसको न्यायपालिका से कोई सम्पर्क नहीं रखना चाहिये जिससे कि ऐसा न हो कि इस बात की जानकारी से कि विधान-मण्डल में क्या हुआ, या उसके वाद-विवाद, पर्यालोचन, वचनों तथा प्रदत्त आश्वासनों अथवा यहां तक कि प्रत्येक पक्ष द्वारा विधान-मण्डल में किये गय अन्तर्वचनों की जानकारी से निर्णय पर कोई असर पड़ जाये। यह एक माना हुआ सिद्धान्त है—और मैं समझता हूं कि यह बिल्कुल ठीक सिद्धान्त है कि लिखित संविधान की व्याख्या करने में न्यायपालिका पर किसी भी ऐसी बात का

प्रभाव नहीं होना चाहिये जो उस कानून के निर्माण करते समय वाद-विवाद में उत्पन्न हुई थी। संघानीय संविधान में यह अनिवार्य है कि केवल साधारण कानून की व्याख्या पर ही नहीं वरन् एक स्वीकृत कानून अथवा संविधान के अन्तर्गत कार्यपालिका के अधिनियमों के संवैधानिक रूप में बारे में भी बार-बार प्रश्न उठेंगे। यही ठीक और उचित है कि विधान-मण्डल को राज्य के दो अन्य विभागों के प्रभाव से अथवा प्रभाव पड़ने के अवसर से पूर्णतया स्वतन्त्र होना चाहिये। एक बात और है। यह हो सकता है कि विधि के प्रयोजन और किस्म के बारे में अपनी निजी धारणायें रखने वाले न्यायाधीश उस विधि का ऐसा अर्थ लगायें जो निर्वचन के सिद्धान्तों की दृष्टि से ठीक न हो किन्तु जो उस न्यायाधीश की उस जानकारी पर निर्भर हो जो उसे उस विधि के बनने के समय बहस में कही गई बातों से उस विधि के प्रयोजन के सम्बन्ध में हुई है फिर चाहे वह प्रयोजन पास हुई विधि का नहीं भी हो।

श्रीमान्, इन बातों के कारण तथा दोनों विधान-मण्डल और न्यायपालिका की पवित्रता बनाये रखने के लिये मैं यह प्रस्ताव सभा के समक्ष प्रस्तुत करता हूं कि दोनों को बिल्कुल पृथक् कर देना चाहिये।

***उपाध्यक्ष:** डॉ. अम्बेडकर इस संशोधन का उत्तर देंगे।

***माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर** (बम्बई : जनरल): श्रीमान्, मैं इस संशोधन का विरोध करता हूं और मुझे केवल यही कहना है कि इस संशोधन का मूलभूत सिद्धान्त उस मूलभूत सिद्धान्त से, जिस पर इस संविधान का मसौदा आश्रित है, सर्वथा विमुख है कि मैं समझता हूं कि इस समय ऐसे किसी प्रस्ताव को स्वीकार करना मेरे लिये लगभग असम्भव है।

उपाध्यक्ष: अब मैं इस संशोधन पर मत लेता हूं। प्रस्ताव यह है:

"कि अनुच्छेद 148 के पूर्व नवीन अनुच्छेद 147-क प्रविष्ट किया जाये:

'147-A. The Legislature of every State shall be wholly separate from and independent of the Executive or the Judiciary in the State."

[उपाध्यक्ष]

(147—क प्रत्येक राज्य का विधान-मण्डल उस राज्य की कार्यपालिका अथवा न्यायपालिका से पूर्णतया पृथक् तथा स्वतन्त्र रहेगा।)

संशोधन अस्वीकार किया गया।

अनुच्छेद 148

***उपाध्यक्ष:** अब हम अनुच्छेद 148 पर आते हैं।

सभा के समक्ष यह प्रस्ताव है:

"कि अनुच्छेद 148 विधान का अंग बने।"

संशोधन संख्या 2222, 2223, 2224, 2225 और 2227 समानार्थी हैं। संशोधन संख्या 2225 जो प्रो. शिब्बनलाल सक्सेना के नाम से है पेश किया जा सकता है।

(संशोधन संख्या 2222 और 2225 पेश नहीं किये गये।)

संशोधन संख्या 2223 और 2224 पेश किये जा सकते है; दोनों श्री बृजेश्वर प्रसाद के नाम से हैं।

***श्री बृजेश्वर प्रसाद** (बिहार : जनरल): मैं उनको पेश नहीं कर रहा हूं।

***उपाध्यक्ष:** तो फिर श्री नन्दलाल के नाम से संशोधन संख्या 2227 पेश किया जा सकता है।

***मास्टर नन्दलाल** (पूर्वी पंजाब : जनरल): मैं उसे पेश नहीं कर रहा हूं।

***उपाध्यक्ष:** तत्पश्चात् छठे सप्ताह की सूची 2 में संशोधन संख्या 2222 पर एक संशोधन है चूंकि संशोधन संख्या 2222 पेश नहीं किया गया है अत: प्रो. शाह संशोधन संख्या 2226 पेश कर सकते हैं।

***प्रो. के.टी. शाह:** उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव पेश करता हूं—

"कि अनुच्छेद 148 के वर्तमान खण्ड (1) के स्थान में निम्न खण्ड रखा जाये:

'(1) For every State there shall be a Legislature which shall consist of such number of Houses, not exceeding two as Parliament shall determine by law in each

case; provided that it shall be open to the Legislature of any State to request the Parliament of the Union to change a bicameral into unicameral Legislature, and such request being duly made and received, Parliament shall pass the necessary legislation.' "

[(1) प्रत्येक राज्य के लिए एक विधान-मण्डल होगा जिसमें आगारों की उतनी ही संख्या, पर दो से अधिक नहीं, होगी जितनी संसद् प्रत्येक राज्य के लिये विधि द्वारा विनिश्चित करे; परन्तु किसी राज्य के विधान-मंडल को यह छूट होगी कि वह द्विआगारिक विधान-मंडल को एक आगारिक विधान-मंडल में परिवर्तित करने के लिये निवेदन कर सके और इस प्रकार का निवेदन उचित रूप से करने और प्राप्त हो जाने पश्चात् संसद् आवश्यक कानून पारित करेगी।]

श्रीमान्, मूल खण्ड जिस रूप में दिया हुआ है वह इस प्रकार है :

"For every State there shall be a Legislature which shall consist of the Governor; and

(a) in the States of..., two Houses,

(b) in other States, one House."

[प्रत्येक राज्य के लिये एक विधान-मण्डल होगा जो राज्यपाल, और

(क) ....राज्यों में, दो आगारों का;

(ख) अन्य राज्यों में, एक आगार का,

बनेगा।]

मैं राज्यों को समान स्थिति में रखना चाहता हूं और यह सुझाव रखता हूं कि प्रत्येक राज्य का विधान-मंडल संसद् के अधिनियम द्वारा अन्ततः निश्चित किया जाये और सम्बद्ध राज्य के निवेदन द्वारा यदि परिवर्तन की इच्छा प्रकट की जाती है तो बाद में उसमें परिवर्तन कर दिया जाये।

श्रीमान्, कम से कम राज्यों के लिये द्विआगारिक विधान-मंडलों में मैं विश्वास नहीं करता हूं। मैं समझता हूं कि दूसरा आगार जनता का प्रतिनिधान तो

[प्रो. के.टी. शाह]

करता ही नहीं और जहां वह जनता के प्रतिनिधित्व की दृष्टि से अथवा जनता के अतिरिक्त देश के किसी भाग के प्रतिनिधित्व के लिये बनाया भी गया हो वहां भी कानून के बारे में जनता के मत को व्यक्त करने की अपेक्षा वह कोई अटकावे का साधन कहीं अधिक होता है।

इस सच्चाई की हाउस ऑफ लॉर्ड्स की जीती-जागती मिसाल तो है ही किन्तु वह फिर भी एक वंशागत प्रतिक्रियावादी संस्था है और निर्वाचित संस्था नहीं है पर जहां कहीं दूसरे आगार निर्वाचित भी हैं वहां भी वे विधायी तंत्र में गड़बड़ डालने के अतिरिक्त कुछ नहीं करते। हां उनके कारण राजकोष पर उनके सदस्यों को दिये जाने वाले वेतन, भत्तों और प्रासंगिक खर्चों का भार अवश्य पड़ जाता है। और यदि उनका कुछ लाभ है तो केवल इतना ही कि दलपतियों को यह सुविधा मिल जाती है कि वे अपने दोस्तों को पद बांट दे। इसके अतिरिक्त तो जिन आवश्यक कानूनों के पास किये जाने के लिये जनता ने मतों द्वारा अपना समर्थन प्रगट कर दिया है, उनके पास करने में केवल देर और बाधा ही होती है। दूसरे आगारों के हामी तो ज्यादातर वे ही लोग होते हैं जो निहित हितों को बचाये रखना चाहते हैं और जिन्हें ही इन आगारों में स्थान मिलता है और जो ऐसे स्थान मिलने के कारण यह सुविधा पा जाते हैं कि जनहित के मुकाबले में अपने निजी अथवा साम्प्रदायिक अथवा वर्ग के स्वार्थों की रक्षा कर सकें। दूसरे आगारों के बारे में, जहां तक मैं समझता हूं, यह सवाल साफ-साफ पैदा होता है कि केवल जनमत का ही राज्य मे बोल-बाला हो अथवा विशेष हितों या किसी खास हित के लोगों को भी यह अधिकार हो कि राज्य में उनकी बात भी सुनी जाये। यह बात तो मान लेनी ही चाहिये कि जिस युग और देश में भी विधान-मण्डल के दो आगार रहे हैं वहीं कालान्तर में ऐसे रास्ते निकाल लिये गये हैं जिनसे कि अन्ततोगत्वा जनमत का बोल-बाला हो। अत: दूसरे आगारों का केवल एक ही फल होता है और वह यह कि जहां भी प्रजातन्त्र सफल राजतंत्र की तरह काम कर रहा होता है वहां विधान बनाने में विलम्ब या रुकावट डालने के अलावा यह जनमत के प्रभावी होने को भी अक्सर असम्भव कर देता है।

इंग्लैंड, अमरीका तथा अन्य स्थानों में दूसरा आगार अन्ततोगत्वा प्रभावहीन सिद्ध होता है यदि विश्व का यही अनुभव है तो मैं नहीं समझता कि उस अनुभव की क्यों उपेक्षा की जाये और राज्य में इस प्रकार के विधायी तन्त्र की क्यों

पुनर्व्यवस्था की जाये जो अनिवार्य रूप से बहुत मंहगा है और लाभदायक होने की अपेक्षा विलम्बकारी है।

केन्द्र की स्थिति भिन्न है। यह भिन्नता इस कारण है कि वहां जिन हितों का प्रतिनिधान किया जाता है वे अधिकतर देश की अपेक्षाकृत, जिसका अवर आगार में प्रतिनिधान होता है प्रदेशों के विशिष्ट हित हैं। अत: यद्यपि केन्द्रीय विधान-मण्डल के लिये दूसरे आगार की उचित व्यवस्था हो सकती है परन्तु केन्द्र में इस प्रकार की व्यवस्था पर प्रस्तुत किये गये तर्क मेरी सम्मति से प्रदेशों पर लागू नहीं होंगे। इसीलिये मैं यह सुझाव रखता हूं कि दूसरे आगार की बात पूर्णतया प्रदेशों पर छोड़ दी जाये। सर्वप्रथम परिमाण, जनसंख्या और क्षेत्र के अनुसार और यदि कुछ विशेष हित हैं तो उनके भी अनुसार संसद् निश्चित करे और अपने निर्णय में जो कुछ ठीक समझे वैसी एक विधायी तंत्र बनाये। परन्तु स्वयं प्रदेश अथवा प्रदेश के विधान-मण्डल को ही यह कहने का अधिकार होना चाहिये कि उसकी आवश्यकता के अनुसार उसके लिये क्या ठीक होगा। और यदि वह ऐसी प्रार्थना करे तो उसे यह भी अधिकार होना चाहिये कि वह मूल विधेयक की मांग कर सके, बदलवाये ताकि जिस प्रकार के एकागारिक विधान-मण्डल को वह चाहता है और जो उसके लिये आवश्यक तथा उपयुक्त है वैसे विधान-मण्डल की व्यवस्था की जा सके।

अत: मैंने अपने संशोधन में यह सुझाव रखा है कि चाहे शुरुआत में संसद् प्रत्येक राज्य के लिये ऐसे विधान-मण्डल की स्थापना कर दे जैसा कि उसे किसी विशिष्ट क्षेत्र के लिये उपयुक्त प्रतीत होता है तो भी अन्ततोगत्वा उस राज्य की जनता को ही यह अधिकार होना चाहिये कि वह बताये कि वह दूसरा आगार रखना चाहती है या नहीं। इसका यह अर्थ नहीं है कि मैं दूसरे आगार को अभी और यहीं अस्वीकार्य ठहरा देता हूं। इसका यह भी अर्थ नहीं है कि संविधान के सम्बन्ध में स्थानीय जनमत की बात मानी जाने को हम असम्भव कर देंगे। मेरी मांग तो केवल इतनी है कि उस हालत में जब कोई इकाई यह इच्छा प्रगट करे कि उन्हें दूसरे आगार की आवश्यकता नहीं है वहां की जनता को यह स्वतंत्रता और अधिकार होना चाहिये कि वह केन्द्रीय संसद् से यह कह सके कि उन्हें

[प्रो. के.टी. शाह]

दूसरे आगार की दरकार नहीं है फिर चाहे दूसरे प्रदेशों में वहां की जनता की इच्छानुसार दो आगार क्यों न बने रहें। मैं इस प्रस्ताव को सभा के समक्ष प्रस्तुत करता हूं।

***उपाध्यक्ष:** केवल शाब्दिक होने के नाते मि. नज़ीरुद्दीन के नाम से आगे के संशोधन संख्या 2228 और 2229 की पेश करने की आज्ञा नहीं दी जाती है।

श्री एल. एन. साहू संशोधन संख्या 2230 पेश कर सकते हैं।

श्री लक्ष्मीनारायण साहू (उड़ीसा : जनरल): माननीय उपप्रधान जी, मैं जो संशोधन लाया हूं उसका मतलब यह है कि अनुच्छेद 148 के उपखंड (1) (ए) में उड़ीसा का नाम जोड़ दिया जाये। इसका मतलब यह है कि उड़ीसा में एक हाउस न रहे बल्कि दो हाउस हों और एक अपर चेम्बर रहे। अभी मेरे मित्र प्रोफेसर के.टी. शाह ने हम लोगों को समझाया कि सैकिंड चेम्बर की जरूरत इतनी नहीं है। लेकिन आपने कहा कि अगर "विल ऑफ दी पीपल" "will of the people" हो तो जहां चाहेंगे वहां सैकिन्ड चेम्बर हो सकेगा। इसमें कोई ऐतराज नहीं है। हम अभी जो विधान बनाते हैं उसमें उसका प्रबन्ध तो है ही, इसके आगे भी वह प्रबन्ध रहे। क्योंकि आसाम, मद्रास, बिहार इन सब जगहों में सैकिन्ड चेम्बर अभी तक काम कर रहे है। कोई कोई जगह में सैकिन्ड चेम्बर की जरूरत इतनी नहीं सोची गई है। मैं सोचता हूं कि आसाम में सैकिन्ड चेम्बर अभी नहीं चाहिए। लेकिन मैं यह कहना चाहता हूं कि अगर हम यहां यह तय कर देंगे कि उड़ीसा में सैकिन्ड चेम्बर नहीं होना चाहिये क्योंकि जो मेम्बर उड़ीसा से कांस्टीट्यूएंट असेम्बली में आये हैं उनका मत नहीं है, तो यह ठीक नहीं होगा। कम से कम यह होना चाहिए कि अगर "विल ऑफ दी पीपल" "will of the people" हो तो सैकिन्ड चेम्बर हो सकता है। तब तो हम तय कर सकेंगे कि उड़ीसा के लिए सैकिन्ड चेम्बर की जरूरत है या नहीं। मैं यहां यह कहना चाहता हूं कि हम लोग जो कांस्टीट्यूशन बना रहे हैं उसमें अमरीका का कांस्टीट्यूशन लेते हैं और अमरीका के कांस्टीट्यूशन में, सब स्टेट्स में बाईकेमरल लैजिस्लेचर है। और हम सैंटर में भी चाहते हैं कि बाईकेमरल होना चाहिए क्योंकि वहां हर एक प्राविंस रिप्रेजेंटेड होता हैं। उड़ीसा में अभी यह हुआ है कि 25 स्टेट्स उसमें शामिल हो गई हैं। आज तक उड़ीसा से वह अलग थीं। अभी हाल में उड़ीसा के साथ शामिल हुई हैं। इसी लिए वहां तो सैकिन्ड चेम्बर की बहुत जरूरत है।

कोई-कोई कहते हैं कि सैकिन्ड चेम्बर में वह डाईलेटरी टैक्टिक्स करते हैं, इसलिये सैकिन्ड चेम्बर की कोई जरूरत नहीं है। डाईलेटरी टैक्टिक्स तो मैं देखता हूं कि जहां सिंगल चेम्बर है, वहां भी हो सकती है। हिन्दू कोड बिल अभी चार पांच बरस से बढ़ रहा है। बहुत आदमियों को ऐसी फिक्र होती है कि जब दो चेम्बर होंगे, तो वहां बड़े-बड़े आदमी, पैसे वाले आदमी रह जायेंगे। मैं तो चाहता हूं कि यह रहना चाहिये, क्योंकि देश जब स्वाधीन बन गया और जब तक हम सोश्लिस्ट स्टेट नहीं बने हैं, तब तक जो बड़े आदमी हैं, धनिक आदमी हैं, उनको भी शासन में मौका देना चाहिये। उनको हटा देने का क्या मतलब है, जब सैकिन्ड चेम्बर रहने से वहां कोई थोड़े धनिक आदमी भी जा सकेंगे, तो क्या हर्ज है? फिर एक बात की जो हम लोग आलोचना करते हैं, प्राविन्स में उसमें तो शायद प्रपोर्शनल रिप्रेजेन्टेशन से नहीं करते हैं। इसलिये ऐसा हो सकता है कि माईनोरीटीज वहां नहीं जा सकती हैं और फिर पार्टी अभी तक हम लोगों के देश में अच्छी तरह से नहीं बनी हैं। जब तक पार्टी अच्छी तरह से नहीं बनती है, तब तक प्रपोर्शनल रिप्रेजेन्टेशन से जब चुनाव होता है, तो सब आदमी लोअर चेम्बर में से जा सकते हैं। जब वह पार्टी अच्छे तरीके से नहीं बनी है, तब तक हम लोगों को सैकिन्ड चेम्बर की जरूरत है। जो कोई रह जायेगा वह शायद उसमें रिप्रेजेन्टेड हो सकता है।

अभी हम देखते हैं कि बहुत आदमियों को सैकिन्ड चेम्बर उनको इतना अच्छा मालूम नहीं होता हैं। परन्तु मैंने जैसा कहा हैं, उड़ीसा अभी नया बनता है और अभी हाल में 25 स्टेट्स उड़ीसा के साथ मिली हैं। इसलिये वहां तो ऐसा करना चाहिये और सैकिन्ड चेम्बर का प्रबन्ध जरूर करना है। फिर एक और बात हम लोगों के देश में और बाहर इस तरह जल्द-जल्द होती है और कम्यूनिज्म और सोशलिज्म और कितनी इज्म उसमें आती जाती हैं। तो इतनी जल्दी-जल्दी जो सब परिवर्तन होते हैं, उन परिवर्तनों को जरा रोकने और जरा ध्यान से कहीं सोचने या प्रबन्ध करने के लिये सैकिन्ड चेम्बर की बहुत जरूरत है। जैसा प्रोफेसर शाह ने कहा इंग्लैन्ड में हाउस ऑफ लॉर्ड्स है और इतने ट्रेडेशनली पुराने ढंग से चलता आया है। लेकिन हम लोग जो सैकिन्ड चेम्बर बनायेंगे, वह तो

[श्री लक्ष्मीनारायण साहू]

हाउस ऑफ लार्ड्स के तरीके का नहीं होगा, वह तो दूसरे तरीके का होगा। और इंग्लैंड में भी सैकिन्ड चेम्बर की बहुत जरूरत होती हैं, स्ट्रांग करने के लिये वह चाहते हैं। हम लोगों का यह जो शासन है, यह इतना यूनाएटरी तो नहीं है, फैडरल है और यूनिट्स की पावर सेन्ट्रल गवर्नमेन्ट ने ले ली है इसलिये वहां तो दो चेम्बरस होने की जरूरत है, क्योंकि वहां तो सोच-विचार करना चाहिये। जब सेन्ट्रल इतना पावरफुल होगा तो मैं समझता हूं कि हर एक प्राविन्स में दो चेम्बर होने चाहिये और जैसा कि मैंने कहा कम से कम उड़ीसा में जो नया कानून बनता है, उसमें दो चेम्बर होना एकदम जरूरी है। इसके बाद मैं चाहता हूं कि यह यहां उड़ीसा में सैकिन्ड चेम्बर होगा या नहीं होगा, इसको पास न करके "will of the people" वहां के सब आदमियों की क्या राय है उसके मुताबिक तय करें और तब तक हम इस विषय में कोई फैसला न करें। इसे स्थगित रखें।

***श्री एल. कृष्णास्वामी भारती** (मद्रास : जनरल): श्रीमान्, मैं प्रस्ताव पेश करता हूं:

"कि अनुच्छेद 148 के खण्ड 1 के उपखण्ड (क) में 'in the States of' (शासक, और) शब्दों के पश्चात् 'Madras' (मद्रास) शब्द प्रविष्ट कर दिया जाये।"

माननीय सदस्यों ने देखा होगा कि अनुच्छेद 148 (1) इस प्रकार है:

"प्रत्येक राज्य के लिये एक विधान-मण्डल होगा जो शासक, और

(क).....राज्यों में"

(यहां कुछ रिक्त स्थान हैं जिसको बाद में भरा जायेगा।)

मेरा संशोधन यदि स्वीकार कर लिया जाता है तो मद्रास शब्द को रखने से रिक्त स्थान की कुछ पूर्ति हो जाती है अर्थात् मद्रास राज्य में दो आगार होंगे—एक विधान-सभा, दूसरी विधान-परिषद्।

श्रीमान्, यह कहा गया था कि विभिन्न प्रांतों के सदस्य परस्पर परामर्श करें और इस बात का निर्णय करें कि वे अपने-अपने प्रांतों में दूसरा आगार चाहते हैं

कि नहीं। इसके अनुसार भिन्न-भिन्न प्रान्तों के सदस्यों ने अलग-अलग परामर्श किया और मद्रास के प्रतिनिधि भी कांग्रेसपति डॉ. पट्टाभि सीतारमैया की अध्यक्षता में एकत्रित हुए और पर्याप्त विचार-विमर्श के पश्चात् यह निश्चय किया गया कि मद्रास में दो आगार हों। यह निर्णय अभी-अभी किया गया है, परन्तु गत वर्ष.....।

***श्री महावीर त्यागी** (संयुक्तप्रान्त : जनरल): एक औचित्य-प्रश्न है श्रीमान्, क्या मैं यह जान सकता हूं कि प्रान्तों के जिन माननीय सदस्यों ने यह निश्चय किया है कि उनके यहां दो आगार हों क्या उनके लिये आवश्यक है कि वे यहां आयें और अपने-अपने प्रान्तों के लिए अलग-अलग संशोधन पेश करें? क्या उन सदस्यों का निर्णय एक सूची में नहीं समाविष्ट किया जा सकता है?

***उपाध्यक्ष:** यदि माननीय सदस्य थोड़ी देर और सब्र करें तो उनको मसौदा-समिति के सभापति द्वारा इस प्रश्न का उत्तर मिल जायेगा।

***श्री एल. कृष्णास्वामी भारती:** मैं यह कह रहा था कि मद्रास के सदस्यों ने गत वर्ष एकत्रित होकर ऐसा ही निश्चय किया था और उसको नियमित बनाने के लिये हम अभी फिर एकत्रित हुए और वही निश्चय किया।

दूसरे आगार के सम्बन्ध में कुछ विरोध है। मेरा ऐसा विचार है कि आजकल के दूसरे आगारों के हानिकारक होने के कारण ही यह विरोध और भी अधिक हो गया है परन्तु सामान्य विचार यह है और मैं भी इस विचार से सहमत हूं कि दूसरे आगार कानून बनाने में जल्दबाज़ी रोकने के लिये हैं। अनुभव द्वारा यह सिद्ध हुआ है। जहां तक इस सभा की कार्यवाही का सम्बन्ध है गत वर्ष हमने कई विषयों पर निर्णय किया था, और उन विषयों पर निर्णय करके मसौदा-समिति को उन्हें केवल क्रम में रखने के लिये दे दिया था। परन्तु अब हम देखते हैं कि उनमें से बहुत से अनुच्छेदों पर हम फिर विचार कर रहे हैं यहां तक कि अनुच्छेद 150 जिसमें हमने एक सीमा नियत कर दी थी उसमें भी लगातार परिवर्तन हो रहा है। इससे यह सिद्ध होता है कि सदैव कुछ समय की ढील देने की आवश्यकता होती है।

इस सम्बन्ध में मैं सभा का ध्यान एक रोचक घटना की ओर आकर्षित करूंगा जो जार्ज वाशिंगटन के जीवन में हुई बताई जाती है। ऐसा कहा जाता हैं कि थॉमस

[श्री एल. कृष्णास्वामी भारती]

जेफर्सन वाशिंगटन के सामने दूसरे आगार का बड़ा कड़ा विरोध कर रहे थे। श्री फैरंड बड़े मनोहर ढंग से इस घटना का विवरण देते हैं। कलेवे के समय वे कॉफी पी रहे थे। अचानक जार्ज वाशिंगटन ने पूछा "श्री जैफर्सन आप अपनी तश्तरी में क्यों कॉफी उडेल रहे हैं?" जैफर्सन ने उत्तर दिया "उसे ठंडा करने के लिये।" इस पर वाशिंगटन ने कहा "इसी प्रकार हम कानून निर्माण को दूसरे आगार की तश्तरी में डालकर ठंडा करना चाहते हैं।" इस विचार को प्रकट करने के लिये यह एक बहुत अच्छा ढंग है और हम दूसरा आगार इसलिए बना रहे हैं कि वह जल्दबाज़ी में कानून के बनाने को रोके न कि इसलिये कि वह विकासमय कानून निर्माण का रोके। इस सम्बन्ध में कोई भ्रम नहीं होना चाहिए कि विकासमय कानून निर्माण को रोकने के लिये यह नहीं है वरन कुछ और समय देने के लिये है जिससे कि गंभीर तथा विचारपूर्ण निर्णय किया जा सके।

अतः कुछ समय के लिए दूसरे आगार की परम आवश्यकता है और प्रो. के. टी. शाह, जैसा कि मैं उनको समझ सका हूं, यह चाहते हैं कि कोई ऐसा प्रावधान होना चाहिये जिससे कि बाद में यदि हम दूसरा आगार न चाहें तो हम उससे मुक्त हो सकें और उसके लिए विधान में संशोधन करना आवश्यक न हो जो कि एक सरल कार्य नहीं है। इस प्रकार का प्रावधान स्वयं विधान में होना चाहिये। मैं उनकी बातों को इस प्रकार समझा हूं।

यदि प्रो. शाह अनुच्छेद 304 के उपखण्ड (2) को देखें तो वहां इस प्रकार का प्रावधान है। वह प्रावधान विभिन्न राज्यों अथवा प्रान्तों की इकाइयों अथवा विधान सभाओं को, जैसी भी स्थिति हो, यह अधिकार देता है कि वे एक विशेष सभा में दूसरा आगार न रखने के लिए कार्यवाही का सूत्रपात कर सकते हैं। वह एक व्यापक खण्ड है जिसमें प्रान्तीय विधान सभाओं को आगारों की संख्या पर निर्णय करने का अधिकार दिया गया है। मैं अनुच्छेद 304 (2) का वह भाग पढ़ने के लिए आपकी अनुमति चाहता हूं।

***श्री एस. नागप्पा** (मद्रास : जनरल): यह आवश्यक नहीं है।

***श्री एल. कृष्णास्वामी भारती:** क्यों नहीं केवल श्री नागप्पा साहब के लिए ही नहीं वरन् समस्त सभा की जानकारी के लिये मैं इसे पढ़ रहा हूं। मैं समझता

हूं कि श्रीमान्, मुझे आपकी अनुमति मिल गई। यदि श्री नागप्पा इसे जानते हैं तो इसका यह आशय नहीं है कि औरों को वह न बताई जाये।

अनुच्छेद 304 (2) इस प्रकार है:

"2. अन्तिम पूर्ववर्त्ती खण्ड में किसी बात के होते हुए भी, (शासक को चुनने की पद्धति सम्बन्धी या) प्रथम अनुसूची के भाग 1 में उस समय उल्लिखित रहे किसी राज्य के विधान-मंडल के आगारों की संख्या सम्बन्धी इस संविधान के प्रावधानों में कोई परिवर्तन चाहने वाले संशोधन का सूत्रपात, उस राज्य की विधान सभा में अथवा जिस राज्य में विधान-परिषद् है वहां राज्य के विधान-मण्डल के किसी आगार में, तदर्थ विधेयक पुर:स्थापित करके, किया जा सकेगा, और जब विधेयक विधान सभा द्वारा या जहां राज्य में विधान-परिषद् है वहां राज्य के विधान-मण्डल के दोनों आगारों द्वारा विधान-सभा या प्रत्येक आगार की, जैसी भी स्थिति हो, समस्त सदस्य संख्या के बहुमत से पारित हो जाता है तो, वह उपोद्बलन (रेटिफिकेशन) के लिये संसद् के समक्ष रखा जायेगा और जब वह संसद् के प्रत्येक आगार द्वारा, उस आगार की समस्त सदस्य संख्या के बहुमत से उपोद्बलित हो जाये तो वह प्रधान के समक्ष स्वीकृति के लिए रखा जायेगा और विधेयक को ऐसी स्वीकृति मिल जाने पर, विधेयक के अभिसमयों के अनुसार संविधान संशोधित हो जायेगा।"

अत: प्रावधान बना दिया गया है जब कि मैं भाषण दे रहा था कुछ माननीय सदस्यों ने यह जानना चाहा था कि प्रान्तीय सभाओं द्वारा इसे रद्द कर देने की सम्भावना है या नहीं। मैंने इस पर ध्यान दिया और सोचा कि विधान में दिये हुए प्रावधान की ओर सभा के ध्यान को आकर्षित करना मेरा कर्त्तव्य है। अत: मैं आशा करता हूं कि मेरा यह संशोधन स्वीकार किया जायेगा।

श्रीमान्, मैं अपना संशोधन पेश करता हूं।

***उपाध्यक्ष:** सूची 2 में संख्या 46 पर डॉ. अम्बेडकर के नाम से इस संशोधन पर एक संशोधन है। क्या माननीय सदस्य उसे पेश कर रहे हैं?

***माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर:** श्रीमान्, मैं प्रस्ताव पेश करता हूं:

"कि संशोधनों की सूची में संशोधन संख्या 2231 के स्थान में निम्न संशोधन रखा जाये:

'कि अनुच्छेद 148 के खण्ड 1 के उपखण्ड (क) में 'in the States of' (शासक, और) शब्द के पश्चात् 'Madras, Bombay, West Bengal, the United Provinces, Bihar and East Punjab' (मद्रास, बम्बई, पश्चिमी बंगाल, संयुक्त प्रान्त, बिहार और पूर्वी पंजाब) शब्द प्रविष्ट किये जायें।'"

श्रीमान्, मैं सभा को यह बताना चाहूंगा कि प्रान्तों में दूसरा आगार रखा जाये या नहीं इस प्रश्न पर इस सभा द्वारा नियुक्त प्रान्तीय विधान-समिति द्वारा विचार-विमर्श हुआ था। उस समिति का निर्णय यह हुआ कि यह एक ऐसा विषय है जिसको तत्सम्बन्धी प्रत्येक प्रान्त के निर्णय पर छोड़ देना चाहिये। यदि कोई प्रान्त दूसरा आगार चाहता है तो उसे दूसरा आगार रखने दिया जाये, और यदि कोई प्रान्त दूसरा आगार नहीं चाहता है तो उस पर दूसरा आगार न लादा जाये। प्रान्तीय विधान-समिति की इस सिफारिश के सम्पालनार्थ यह निश्चय किया गया कि विधान-परिषद् में विभिन्न प्रान्तों के सदस्य एकत्रित होकर इस विषय पर निर्णय करें। अत: इस विधान-परिषद् में विभिन्न प्रान्तों के सदस्यों ने इस प्रश्न पर निर्णय करने के लिए अपने-अपने प्रान्तों की अलग-अलग बैठकें कीं और उन सदस्यों ने जो कुछ विचार-विमर्श किया उसके निष्कर्ष रूप में कार्यालय को यह सूचित किया कि जो प्रान्त मेरे संशोधन में दिये गए हैं उन प्रान्तों ने अपने यहां दूसरा आगार रखने के पक्ष में निर्णय किया है। जिन प्रान्तों ने दूसरे आगार न रखने का निर्णय किया, वे मध्यप्रान्त और बरार, आसाम और उड़ीसा है। मेरा संशोधन प्रान्तीय विधान-समिति की सिफारिश के अनुसार विभिन्न प्रान्तों के प्रतिनिधियों के विचार-विमर्श के निश्चय को केवल क्रियान्वित करता है।

***उपाध्यक्ष:** तत्पश्चात् हम संशोधन संख्या 2232 पर आते हैं जो श्री मोहनलाल गौतम के नाम से है। संशोधन संख्या 2233 भी उनके नाम से है। उक्त माननीय सदस्य सभा में उपस्थित नहीं हैं अत: ये दोनों संशोधन नहीं लिये जाते हैं।

इस अनुच्छेद पर अब सामान्य वाद-विवाद हो सकता है।

***श्री कुलधर चालिहा** (आसाम : जनरल): उपाध्यक्ष महोदय, राजनैतिक विज्ञान की उलझी हुई समस्याओं में से एक समस्या दूसरे आगार की है। जल्दबाजी में कानून बनाने को रोकने के लिये यूरोप में उन्नीसवीं शताब्दी में दूसरे आगार आवश्यक थे पर अर्वाचीन काल में यदि दूसरे आगार को रहने भी दिया जाय तो हमें उसकी शक्तियों को सीमित कर देना चाहिये जिससे कि हमारे उन्नतिशील विचारों में वह विध्न न डाल सके।

प्राचीन काल में लगभग सभी प्रमुख राज्यों में दूसरे आगार थे, पर तुर्की और बल्गेरिया ने उनको हटा दिया। दूसरे आगारों को सामन्तशाही विधान के आवश्यक तत्वों के रूप में समझा जाता है। वे वैधानिक प्रदेशों के दूसरे आगारों को कहीं भी न रखने के नियम के अपवाद स्वरूप है। सोवियत रूस के संयुक्त राष्ट्र और दक्षिण अफ्रीका संघ के समस्त वैधानिक प्रदेश एक आगारी हैं। कनाडा के उपनिवेश में हमें आठ प्रान्तों में से केवल दो ही ऐसे मिलते हैं जिनमें दूसरा आगार है स्विट्ज़रलैन्ड में 18 प्रदेशों में से केवल 2 को छोड़ कर बाकी के सब 16 में एक आगार ही है। वाइमार जर्मनी में आधे राज्यों में एक आगार ही था।

दूसरे आगार की रचना परम्परा के कारण हुई प्रतीत होती है। ऐसा प्रतीत होता है कि रूढ़गत स्वार्थों में फंसे बड़े-बड़े ऐश्वर्यशाली व्यक्ति यह चाहते हैं कि वे उन आसनों को सुशोभित करें जहां से वे अपने अधिकारों पर किये गये आक्रमणों से कुछ रक्षा कर सकते हैं। यह कहा जाता है कि जहां कहीं ऐसे रूढ़गत स्वार्थ वर्तमान हैं, जिनकी रक्षा करना आवश्यक है, वहां दूसरे आगार की सदैव मांग की जायगी। भारत में हम देखते हैं कि जहां-जहां जमींदार हैं वहां वे दूसरा आगार चाहते है। जो विभिन्न प्रान्त दूसरे आगार की मांग कर रहे हैं उनकी मांगों से यह विदित होता है कि वहां रूढ़गत स्वार्थ हैं, वहां जमींदार हैं और वे बहुमत से अपनी रक्षा कराना चाहते हैं। परन्तु इस विकसित युग में यदि हम दूसरा आगार बनाते हैं तो कानून-निर्माण में रोक लगा दी जायगी इसलिये हमें दूसरा आगार नहीं रखना चाहिये। फिर भी हम यह देखते हैं कि कुछ प्रान्तों की ऐसी कुछ इच्छा है। आसाम ने ठीक कहा है कि उन्हें इसकी आवश्यकता नहीं है। उड़ीसा ने भी यही कहा है और मध्यप्रान्त ने भी यही। उन्होंने यह बिल्कुल ठीक कहा है।

[श्री कुलधर चालिहा]

दूसरा आगार उन्नतिशील कानून निर्माण के मार्ग में रुकावट के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। हमारे प्राचीन केन्द्रीय विधान में देर करने वाली युक्तियों के द्वारा हमने चार या पांच वर्षों तक हिन्दू कोड को रोके रखा। उन्नतिशील कानून निर्माण में बाधा डालना बहुत आसान है जैसा कि हमने हिन्दू कोड के सम्बन्ध में किया। और यदि हम दूसरा आगार बनाते हैं तो यह उन्नतिशील कानून पारित करने के मार्ग में मैं समझता हूं कि और भी अधिक अड़चने डालना होगा। वास्तव में यह बड़ा ही आश्चर्यजनक है कि आज भी हमारे कुछ प्रान्त इस बात की मांग कर रहे हैं कि दूसरा आगार होना चाहिये। उनको समझना चाहिये कि अपनी और अधिक उन्नति करने की अपेक्षा कदाचित् यह भारस्वरूप ही होगा। यूरोप तथा अन्य देशों मे दूसरे आगार ने पहले कुछ अच्छे कानूनों के बनाने में विघ्न डाला है। मैं समझता हूं कि आधुनिक व्यक्ति होने के नाते हमें इन विचारों का परित्याग करना चाहिये और हमें आगे बढ़ना चाहिये। इसलिये अपने देश में हमें दूसरा आगार नहीं रखना चाहिये।

एक बात और है। दूसरे आगार के लिये हमें अपने प्रान्तों में नेताओं की पर्याप्त संख्या नहीं मिलती हैं। छोटे तथा पिछड़े प्रान्तों में हम यह कठिनाई अनुभव करते हैं और हमने दूसरे आगार के विरुद्ध ठीक राय दी है। बड़े-बड़े प्रान्तों में भी मैं समझता हूं कि हम इतने नेता पैदा नहीं कर सके हैं जो अच्छी तरह से इस आगार को भर सकें।

***एक माननीय सदस्य:** आपके प्रान्त में यह दशा होगी!

***श्री कुलधर चालिहा:** ठीक है। ऐसा कोई अपवाद हो सकता है पर इससे वह बात सिद्ध नहीं होती है, बल्कि उसके विपरीत बात सिद्ध होती है।

बम्बई, मद्रास तथा अन्य प्रान्तों में दूसरे आगार के रखने से आप देश की उन्नति में केवल बाधा ही डालेंगे जिससे कि कोई प्रगति न हो सके। और ऐसा ही होगा। ये चार प्रान्त हमारे लिए बाधक होंगे और हमें उन्नति नहीं करने देंगे। अत: जितना शीघ्र वे इस विचार से छुटकारा पा लें तथा जितना शीघ्र डॉक्टर अम्बेडकर इस संशोधन को वापस ले लें उतना ही देश का अधिक लाभ होगा। इस संशोधन को स्वीकार करने से पूर्व सभा इस पर ठीक-ठीक विचार करेगी और इस बात पर ध्यान देगी कि वे अपनी उन्नति में अड़चन डालना चाहते हैं या नहीं।

***श्री के. हनुमन्थैया** (मैसूर): उपाध्यक्ष महोदय, विधान के मसौदे में स्थिति के अनुसार एक आगार वाले या दो आगार वाले विधान-मण्डल की व्यवस्था है। यह सम्बद्ध राज्यों की इच्छा पर है और कुछ राज्यों ने द्विआगारिक विधान-मण्डल पसन्द किये हैं। तीन राज्यों, अर्थात् प्रान्तों ने एक आगार वाले विधान-मण्डल की इच्छा प्रकट की हैं। द्विआगारिक विधान-मण्डल के पक्ष अथवा विपक्ष के तर्कों से हम भलीभांति परिचित हैं। मैं इस विषय के व्यावहारिक रूप की ओर सभा का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। जो लोग द्विआगारिक विधान-मण्डल के समर्थक हैं वे बहुधा यह कहते हैं कि यह जल्दबाज़ी में कानून बनाने के विरुद्ध एक साधन है। मेरे मित्र श्री भारती ने एक बड़ा रोचक उदाहरण प्रस्तुत किया है।

मैं अपने मित्रों को, जो द्विआगारिक विधान-मण्डल के पक्ष में हैं, यह याद दिलाना चाहता हूं कि हम एक उत्तरदायी शासन पद्धति के लिये विधान बना रहे हैं। उसमें दलाश्रित प्रणाली का पूर्वाभास है। दलाश्रित शासन पद्धति एक अनोखे रूप से कार्य करती है। वह एक आगार वाले अथवा दो आगार वाले विधान-मण्डल के रूप में कार्य नहीं करती है। प्रत्येक महत्त्वपूर्ण विषय पर दल की बैठकों में निश्चय किया जाता है न कि उत्तर अथवा अवर आगार में। अत: व्यावहारिक राजनीति के दृष्टिकोण से तो श्रीमान्, मुझे यह प्रतीत होता है कि दल की बैठक ही सच्चा विधान-मण्डल है। दल की बैठक में एक बार किसी विषय पर निर्णय कर लेने के पश्चात् चाहे उस विषय को उत्तर आगार में प्रस्तुत किया जाये या अवर आगार में और यदि दस आगार हैं तो चाहे उसे उन दस आगारों में प्रस्तुत किया जाये उसमें कोई अन्तर नहीं होता। एक बार किसी विषय पर दल का निर्णय हो जाने के बाद जल्दबाजी में कानून बनाने को रोकने का प्रश्न ही नहीं रहता। अत: जब कि...।

***श्री ओ.वी. अलगेसन** (मद्रास : जनरल): क्या उत्तर आगार के सदस्य दल के सदस्य नहीं होंगे?

***श्री के. हनुमन्थैया:** ठीक यही मैं कहने वाला था। आप मेरे पक्ष में तर्क प्रस्तुत कर रहे है। अधिकार प्राप्त दल का इस विधान के अन्तर्गत जिसका हम निर्माण कर रहे हैं अवश्य ही दोनों उत्तर तथा अवर आगार में बहुमत होगा क्योंकि विधान-मण्डल निर्वाचित है दोनों उत्तर तथा अवर आगार के दल के सदस्यों की

[श्री के. हनुमन्थैया]

संयुक्त बैठक में एक बार कोई निर्णय कर लिया जाता है तो विरोध अथवा विरोधी तर्क होने पर भी वही निर्णय स्वीकार किया जाता है ऐसी दशा में दो आगारों का रखना बहुत मंहगा होगा। मेरे माननीय मित्र श्री भारती ने दूसरे आगार की उपयोगिता बताने के लिये प्याले और रकाबी का उदाहरण दिया। चाहे प्याली में कॉफी डाली जाये या चाहे रकाबी में, कॉफी का तापक्रम तो उसके बर्तन पर निर्भर है। यहां पर बर्तन दल की बैठक है, वही यह निश्चय करता है कि हमें किस प्रकार मत देना है। अतः वास्तव में मुझे यह नहीं सूझ पड़ता है कि वर्तमान परिस्थितियों में दूसरा आगार हमें किस प्रकार उत्तम या गंभीर मार्ग-प्रदर्शन करेगा।

श्रीमान्, एक बात और है। संयुक्त राज्य में विधायी क्षेत्र, जहां तक कि प्रदेशों के विधान-मण्डल का सम्बन्ध है, बहुत ही संकुचित क्षेत्र है। इस वर्तमान विधान के अन्तर्गत अधिकांश विधायी तथा प्रशासी अधिकार केन्द्र ने ले लिये हैं और जो कुछ शेष रहा है वह बहुत ही सीमित है। इस सीमित क्षेत्र के लिये दो आगार रखना वास्तव में बहुत मंहगा तथा अनावश्यक है। कानून निर्माण के अतिरिक्त प्रशासन का भी विषय है जिसके सम्बन्ध में हमें इस समस्या का परीक्षण करना है। लोकप्रिय नेता होने के कारण मंत्रियों को अपना बहुत-सा समय दर्शकों को देना पड़ेगा। भारत में प्रत्येक मंत्री का यह अनुभव है कि उसका बहुत-सा समय दर्शक तथा वे लोग ले लेते हैं जो सब तरह के कामों के लिये उससे मिलने आते हैं और उसके पास बहुत कम समय बच जाता है। यदि हम दो आगार रखते हैं तो कदाचित् वर्ष में अनेकों माह तक अवर आगार को बैठक करनी होगी और इसके साथ-साथ मंत्रियों को उत्तर आगार में भी अनिवार्य रूप से अपना बहुत-सा समय देना होगा। मैं समझता हूं कि लगभग सब समय उन्हें बातें ही करनी पड़ेगी और इसके फलस्वरूप प्रशासन कार्य में हानि होगी। सच तो यह है कि यदि प्रदेशों तथा राज्यों में भारतीय मंत्रिमंडलों के प्रशासन सम्बन्धी कार्यों के बारे में कुछ ज्ञान रखने का मैं दावा कर सकता हूं तो उन पर बहुधा अदक्षता का आरोप किया जाता है। जिस वेग के साथ पहले प्रशासी कार्य किया जाता था उस वेग के साथ अब नहीं किया जाता है। प्रदेशों के विभिन्न मंत्रिमण्डलों पर यह स्पष्ट

आरोप लगाया जाता है। मैं यह नहीं जानता हूं कि केन्द्र की क्या दशा है। परन्तु सच्ची बात यह है कि उनके पास समय नहीं है, उनका सब समय बातों में बीतता है। दक्ष तथा अविलम्ब प्रशासन के लिये यह अच्छा होगा कि दूसरा आगार न रखा जाये।

***उपाध्यक्षः** इस विषय पर अनेकों वक्ता भाषण देना चाहेंगे।

***श्री के. हनुमन्थैयाः** बहुत अच्छा श्रीमान्, मैं भाषण समाप्त कर चुका।

***श्रीमती रेणुका रे** (पश्चिमी बंगाल : जनरल): उपाध्यक्ष महोदय, मैं उन व्यक्तियों में से हूं जिनकी यह धारणा है कि वर्तमान समय में द्विआगारिक विधान-मण्डल यदि अवनतिदायक नहीं है तो अनावश्यक तो है ही। श्रीमान्, भारत में और विशेषकर इस समय जब कि हमें आर्थिक तथा सामाजिक क्षेत्र में बहुत से कानून निर्माण की आवश्यकता है, जिस कार्य को विदेशी शासन काल में बहुत पीछे डाल दिया गया था, मैं तो यह समझती हूं कि दूसरा आगार, विशेषकर प्रान्तों में, बहुत ही शिथिल होगा। दूसरे आगार के पक्ष में केवल यही तर्क प्रस्तुत किया गया है कि इस प्रकार से हम जल्दबाजी और असावधानी से कानून बनाने को रोक सकेंगे। परन्तु जब कि प्रान्तों में शासक हैं और केन्द्र में प्रधान हैं जो कि असावधानी से बनाये गये किसी भी विधेयक को पुनर्विचार के लिये विधान-मण्डल को वापस कर सकते हैं तो मैं नहीं समझती हूं कि यह बहाना ठीक है। फिर भी चूंकि बहुत से प्रान्तों ने दूसरे आगार रखना निश्चित कर लिया है इस कारण इस वर्तमान विधान में हम उसे रखेंगे। मैं केवल यह बताना चाहती हूं कि यद्यपि अभी हमने प्रान्तों में दूसरे आगार रखना निश्चित कर लिया है परन्तु फिर भी विधान में ऐसा कोई प्रावधान होना चाहिये कि दूसरे आगारों से जितना शीघ्र मुक्त होना चाहें हो सकें और उनसे मुक्त होने के लिये प्रान्तों में विधान-मण्डल के दोनों आगारों के मतों की आवश्यकता न हो बल्कि केवल अवर आगार की इच्छा के अनुसार ही उनसे मुक्त हो सकें। मैं यह ठीक नहीं समझती हूं कि कोई आगार रहे या न रहे यह विषय किसी रूप में भी स्वयं उसी आगार के निश्चय के लिये छोड़ा जाये। यद्यपि उस रीति के विषय का विधान के मसौदे में एक अनुच्छेद है जिसके द्वारा प्रान्त यदि नहीं चाहते हैं तो बाद में दूसरा आगार न रखने का निश्चय कर सकते हैं परन्तु वह अनुच्छेद यह विनिहित करता है कि ऐसा विधान-मण्डल के दोनों आगारों द्वारा किया जा सकता

[श्रीमती रेणुका रे]

है। श्रीमान्, मैं आशा करती हूं कि जब समय आवे यह सभा और डॉक्टर अम्बेडकर इस बात से सहमत हो जायेंगे कि केवल अवर आगार ही यह निश्चय कर सकता है कि दूसरा आगार जारी रखा जाये या नहीं। जैसा कि मैंने पहले कहा था मैं नहीं समझती हूं कि वर्तमान समय में दूसरे आगार का रखना उपयोगी होगा। यह तो मैं समझती हूं कि पूर्वकालीन उत्तर आगारों की रचना से दूसरे आगार की रचना मूल रूप से भिन्न प्रकार की होगी। परन्तु फिर भी वर्तमान प्रसंगानुसार जैसा कि मैं कह चुकी हूं यह बहुत अच्छा होगा यदि हम अभी एक ही आगार रखें। जैसा कि हमने पूर्व वर्षों में अनुभव किया है यद्यपि यह विधान-परिषद् एक आगार वाले अधिराज्य विधान-मण्डल के रूप में कार्य कर रही है फिर भी जिस कार्यप्रणाली द्वारा कानून बनाया जाता है वह जितना हम चाहते हैं उसकी अपेक्षाकृत अधिक शिथिल है मैं नहीं समझ पाती हूं कि दूसरा आगार बनाना, विशेषकर प्रान्तों में हमारे लिये क्यों आवश्यक है और यदि बनाते भी हैं तो कम से कम यह व्यवस्था करें कि प्रान्तों में अवर आगार जितना शीघ्र हो सके उतना शीघ्र अपने आपको इस भार से मुक्त कर सकें।

***श्री ओ.वी. अलगेसनः** उपाध्यक्ष महोदय, दूसरे आगार का सिद्धान्त आज ही हमारे सामने प्रत्यक्ष रूप में आता है। इस सभा ने उस समय इस विषय पर विचार किया था जब कि मैं तो यह कहूंगा कि प्रत्यक्ष रूप में नहीं वरन् एक प्रकार से अप्रत्यक्ष रूप में प्रान्तीय विधान समिति का विवरण इस सभा को प्रस्तुत किया गया था।

***श्री एल. कृष्णास्वामी भारतीः** किस प्रकार?

***श्री ओ.वी. अलगेसनः** क्योंकि माननीय सरदार वल्लभभाई पटेल ने, जिन्होंने कि इस सभा के विचारार्थ प्रान्तीय विधान-समिति के विवरण को पेश किया था, यह कहा था कि समिति सामान्यतया इस बात से सहमत थी कि विधान-मण्डल में केवल एक ही आगार हो परन्तु फिर वे उस कार्यप्रणाली का वर्णन करने लगे जिसे डॉ. अम्बेडकर ने सभा में अभी बताया था। विधान-परिषद् में विभिन्न प्रान्तों के सदस्यों की इच्छा पर यह छोड़ा गया था और उनसे यह

निश्चय करने के लिये कहा गया था कि अपने-अपने प्रान्तों के लिये वे दूसरा आगार चाहते हैं या नहीं। एक विचार से यह स्वतन्त्रता अच्छी थी परन्तु यही स्वतन्त्रता इस प्रश्न पर गंभीर रूप से विचार करने और उसके गुणावगुण के आधार पर उसकी जांच करने में सभा के लिये बाधक हुई। इस विषय से सम्बन्धित विशेष अनुच्छेद को जिस समय सरदार पटेल ने पेश किया था उन्होंने यह आशा प्रकट की थी कि छोटे-छोटे प्रान्त दूसरे आगार के पक्ष में निर्णय न करें। परन्तु वास्तव में उसका फल यह हुआ कि डॉ. अम्बेडकर द्वारा गिनाये गये 6 प्रान्तों ने दूसरे आगार में निर्णय किया है। मैं यह निवेदन करता हूं कि गुणावगुण के आधार पर उन्होंने ऐसा नहीं किया। जिसको मूल रूप में अपवाद समझा जाता था वह एक नियम के रूप में स्थायी हो गया।

***श्री एल. कृष्णास्वामी भारती:** श्रीमान्, क्या मैं यह संकेत कर सकता हूं कि उस अवसर पर माननीय सदस्य उपस्थित नहीं थे अत: उन्हें यह कहने का अधिकार नहीं है?

***श्री ओ.वी. अलगेसन:** मैं इस कारण उपस्थित न हो सका कि मैं स्वस्थ नहीं था। परन्तु इस कारण अपना मत प्रकट करने का मेरा अधिकार छिन नहीं जाता है।

***उपाध्यक्ष:** कृपया अध्यक्ष को संबोधन करिये। श्री एल. कृष्णास्वामी भारती को उत्तर देने का प्रयत्न न करिये।

***श्री ओ.वी. अलगेसन:** बहुत अच्छा। उस विशिष्ट कार्यप्रणाली के कारण अनेकों प्रान्तों के सदस्यों ने सोचा "दूसरे आगार के इस अलंकार को हम भी धारण करें।" इसके विपरीत यदि सभा में प्रत्यक्ष रूप से यह सीधा सवाल किया जाता तो मैं समझता हूं कि सभा दूसरे आगार के विरुद्ध निश्चय करती। मेरा यह निवेदन था। क्योंकि गुणावगुण के आधार पर यह पहला ही अवसर है कि हम इस प्रश्न पर विचार कर रहे हैं अत: इस सभा को यह कहने का पूरा अधिकार है कि इस समय हम दूसरा आगार नहीं रखेंगे।

[श्री ओ.वी. अलगेसन]

यह भी कहा गया था कि ये 6 प्रान्त इस समय बड़े-बड़े प्रान्त हैं। भविष्य में उनका विभाजन चाहे हो जाये। फिर ये प्रावधान क्या हैं? वे आसानी से दूसरे आगार से मुक्त नहीं हो सकते हैं। भाषावार प्रान्त बनाने पर आर्थिक अस्थिरता के कारण आपत्ति है ही। यह उसके लिये एक और कारण होगा क्योंकि जब छोटे प्रान्त बन जायेंगे तो उन पर दूसरे आगार का खर्च अनावश्यक रूप से भारस्वरूप होगा।

मुझ से पूर्व अनेकों वक्ताओं ने यह बताया कि दूसरा आगार किस प्रकार अनावश्यक रुप से असामयिक है मैं तो यह कहूंगा कि यह राजनीतिज्ञों के लिये एक प्रकार का वृद्धावस्था का उत्तर वेतन है। जब हम दूसरे आगार की रचना पर विचार करेंगे मैं समझता हूं कि उस समय मैं यह समझा सकूंगा कि राज्य की राजनीति में वह किस प्रकार अपकारी होगा न कि उपयोगी। मेरे मित्र श्री कृष्णास्वामी भारती ने वाशिंगटन द्वारा दिये गये प्याले और रकाबी के उदाहरण को दिया था। मैं यह निवेदन करता हूं कि वाशिंगटन के समय से हम अनेकों शताब्दी आगे बढ़ गये हैं और अमरीका का विवेकपूर्ण वैधानिक मत आज दूसरे आगार के विरुद्ध है। अनेकों विशेषज्ञों ने अमरीका के संयुक्त राज्य के लिये एक आदर्श विधान तैयार किया है। उन्होंने द्विआगारिक प्रणाली का परित्याग किया है और राज्यों के लिये एक आगार वाले विधान की सिफारिश की है। यद्यपि अभी तक केवल एक राज्य में एकागार वाली प्रणाली को ग्रहण किया गया है। इस विशिष्ट विषय पर मैं एक अमेरीका के अधिकारी का उदाहरण दूंगा और उससे यह स्पष्ट हो जायेगा कि दूसरा आगार किस प्रकार प्रतिक्रियावादी आगार के रूप में कार्य करता है। दूसरे आगार के पक्ष में जो तर्क बहुधा प्रस्तुत किया जाता है वह यह है कि अवर आगार द्वारा जल्दबाज़ी में कानून बनाये जाने को वह रोकेगा। उसने यह प्रकट किया है कि यह एक कोरी गप्प है। विद्वान लेखक ने कहा है:

"चाहे यह विचार न्यायसंगत और तर्कयुक्त प्रतीत हो, परन्तु द्विआगारिक प्रणाली की प्रथा ने इस विचार के समर्थन में कोई प्रमाण उपस्थित नहीं

किया है। इसके विरुद्ध अनेकों उदाहरणों से यह विदित होता है कि जिन प्रस्तावनाओं के लिये जनता की ओर से बड़ी मांग की गई थी उनको गिराने के लिये राजनीतिज्ञों ने एक आगार के प्रति दूसरे आगार को विरुद्ध करने में भाग लिया और इस प्रकार वे अपने कार्यों के प्रति अपने व्यक्तिगत उत्तरदायित्व से बचने में सफल हुए।"

इस लेखक ने इन निरपवाद शब्दों में द्विआगारिक प्रणाली की निन्दा की है। अत: सर्वप्रथम तो मैं यह चाहूंगा कि यह सभा प्रान्तों के लिये दूसरे आगार के सिद्धान्त को पूर्ण रूप से अस्वीकार करदे और यदि ऐसा नहीं हो सकता है और सभा ऐसा नहीं करना चाहती है तो मैं यह निवेदन करूंगा कि कम से कम एक ऐसा प्रावधान होना चाहिये जिसके द्वारा किसी प्रान्त में अवर आगार केवल एक संकल्प द्वारा दूसरे आगार से मुक्त हो सके। इसके लिये अनुच्छेद 304 के उपखंड (2) को उद्धृत किया गया था। वह भी एक उलझन वाली कार्य प्रणाली है। अवर आगार में जब कि बहुसंख्यक दल अनिश्चित अवस्था में हो तो उत्तर आगार भी उस आशय की पूर्ति नहीं करेगा क्योंकि स्वभावत: वह उस दल की रक्षा का समर्थन करेगा। अत: उस प्रावधान में परिवर्तन कर देना चाहिये जिससे कि अवर आगार में बहुमत द्वारा एक साधारण संकल्प पारित करने पर अवर आगार उत्तर आगार से मुक्त हो सके।

श्रीमान्, मैं अपना भाषण समाप्त कर चुका हूं।

***श्री टी.टी. कृष्णमाचारी** (मद्रास : जनरल): उपाध्यक्ष महोदय, जिस ध्यान से इस प्रकार के विषय पर वाद-विवाद को सुनना चाहिये उसी ध्यान से, मेरे समक्ष जिन वक्ताओं ने भाषण दिया है, उनको मैंने सुना है। अपने निजी विचारों को व्यक्त करते हुए तो मैं उनमें से अनेकों के साथ सहानुभूति रखता हूं जिन्होंने प्रान्तों में दूसरे आगार के प्रति विरोध प्रकट किया। जब से विधान का विचार उत्पन्न हुआ तभी से इस विषय पर समस्त संसार में वाद-विवाद हुआ है कि दूसरा आगार आवश्यक है अथवा नहीं और इस विषय में विस्तृत रूप से मतभेद के लिये स्थान है। श्रीमान्, आज मेरा विषय इस बात की जांच करने से सम्बन्ध नहीं रखता है कि प्रान्तों के लिये दूसरा आगार रखना आवश्यक है या नहीं। जो

[श्री टी.टी. कृष्णमाचारी]

कुछ मैं इस महान् सभा को बताना चाहता हूं वह यह है कि इस सभा ने पहले कुछ मौलिक सिद्धान्तों को स्वीकार कर लिया है, वह इसलिये कि विधान बनाने में मसौदा-समिति का वे सिद्धान्त पथ-प्रदर्शन करे। प्रश्न यह है कि उचित रीति से अर्थात् इस आशय के लिये जो नियम बनाये गये हैं उनके अनुसार इस महान् सभा ने जो निर्णय किया है उसमें उचित सदस्यों की संख्या द्वारा पूर्ण परिवर्तन करने की मांग द्वारा सब बातों की जांच अथवा परिवर्तन किये बिना किसी अनुच्छेद के निषेध द्वारा क्या उन सिद्धान्तों को छोड़ा जा सकता है!

श्रीमान्, इस विषय पर प्रश्न किया जा सकता है कि कौन मौलिक सिद्धान्त है और कौन नहीं। उदाहरण के रूप में, यदि हम यह कह दें कि इस विधान के लिये प्रधान की आवश्यकता नहीं है, तो यह संघ-विधान-समिति के विवरण के आधार पर इस सभा द्वारा किये गये मूलभूत निश्चय के विरुद्ध होगा। इसी प्रकार यदि हम यह कहें कि राज्य के लिये शासक आवश्यक नहीं है, तो यह भी मूलभूत सिद्धान्त के विरुद्ध होगा। परन्तु, श्रीमान्, यदि हम यह कहें कि शासक का इस प्रकार निर्वाचन किया जायेगा या वह इस प्रकार मनोनीत किया जायेगा और प्रधान का इस प्रकार निर्वाचन किया जायेगा, तो यह सभा के निर्णय पर आश्रित मौलिक सिद्धान्त के विरुद्ध नहीं होगा। 18 जुलाई सन् 1947 को इस सभा ने प्रान्तीय विधान-समिति के विवरण की मोटी-मोटी रूपरेखा स्वीकार की थी, विशेषकर नियम 19 के सम्बन्ध में जिसका इस अनुच्छेद के साथ कुछ सम्बन्ध है, जिस पर सभा वाद-विवाद कर रही है।

माननीय सरदार वल्लभभाई पटेल ने यह पेश किया था:—

> "प्रत्येक प्रान्त के लिये एक प्रान्तीय विधान-मण्डल होगा जिसमें शासक और विधान सभा होगी; और उनके साथ-साथ निम्न प्रान्तों में एक विधान-परिषद् होगी।"

वास्तव में यह प्रावधान बड़ी सावधानी से बनाया गया था, जिससे कि प्रत्येक प्रान्त को यह निर्णय करने में कि दूसरा आगार हो या नहीं, अधिक से अधिक स्वतन्त्रता हो। मेरे कुछ माननीय मित्रों ने उस रीति का उल्लेख किया है जिसके द्वारा इस पर निर्णय किया गया था। श्रीमान्, सभा द्वारा इस विशेष नियम के पारित

हो जाने के पश्चात् समुचित समय पर विधान-परिषद् के सचिवालय ने प्रत्येक प्रान्त के सदस्यों को किसी विशिष्ट दिवस एकत्रित होने के लिये निमन्त्रित किया और वे दूसरा आगार रखना चाहते हैं या नहीं, इस विषय पर निर्णय करने के लिये कहा। श्रीमान्, मैं समझता हूं कि मेरे यह कहने से किसी रहस्य का उद्घाटन अथवा विश्वासघात नहीं होता है कि मद्रास प्रान्त के प्रतिनिधियों की बैठक में जहां तक मद्रास प्रान्त का सम्बन्ध है, मैं उन लोगों में से था जिन्होंने दूसरे आगार का घोर विरोध किया था, लेकिन मैं अधिक वोटों से हार गया; परन्तु मैं यह नहीं समझता हूं कि चूंकि मेरे प्रान्त के प्रतिनिधियों का निर्णय मेरे विचारों के विरुद्ध था, इसलिये मैं केवल अपने प्रान्तों के सदस्यों के निर्णय के विरुद्ध ही नहीं बल्कि 18 जुलाई 1947 को इस महान् सभा द्वारा किये गये निर्णय के विरुद्ध भी इस खण्ड पर वाद-विवाद का लाभ उठा सकूं। श्रीमान्, उन सदस्यों के लिये जो यह समझते हैं कि यह बात ठीक नहीं है, नि:सन्देह उचित मार्ग यह है कि वे इस सभा की कार्यप्रणाली के नियम 32 से लाभ उठायें और इस विशेष प्रश्न पर पुन: विचार करने के पत्र पर सदस्यों की पर्याप्त संख्या से हस्ताक्षर करा कर इस विषय पर फिर से शास्त्रार्थ करायें। इस कार्य को करने की यही ठीक रीति है और मैं तो यह समझता हूं कि यद्यपि यह सभा साधारणतया इस विशेष अनुच्छेद 148 को पूरा का पूरा अथवा उसके किसी भाग को अस्वीकार कर सकती है—एक सर्वसत्तायुक्त सभा जिस कार्य को करना चाहती है उसके करने में कोई रुकावट नहीं होती है—पर मैं समझता हूं कि शिष्टता के नाते हम उस सिद्धान्त से विमुख नहीं हो सकते हैं, जो 15 जुलाई सन् 1947 को स्वीकार कर लिया था—वह सिद्धान्त जिसका विभिन्न प्रान्तों के प्रतिनिधियों ने अपनी-अपनी अलग-अलग बैठकों में अपने-अपने प्रान्तों में दूसरा आगार हो या नहीं, इस विषय पर निर्णय पर समर्थन किया था। यह विषय सर्वथा भिन्न है कि यह सभा यह निश्चय करे कि उत्तर आगार की रचना 18 जुलाई सन् 1947 को निश्चित की गई रचना से अथवा जो कुछ मसौदा-समिति ने विधान के मसौदे में दिया है उससे भिन्न हो। इसके लिये ठीक समय आने पर मैं इस विषय पर कुछ कहूंगा। परन्तु हमें यह कहने का पूर्ण अधिकार है कि उत्तर आगार का निर्वाचन पूर्णतया अवर आगार द्वारा हो, उत्तर आगार को पूर्णतया शासक द्वारा मनोनीत किया जाये, उत्तर आगार का निर्वाचन सब प्रकार के निर्वाचन-क्षेत्रों में से हो, उत्तर आगार केवल श्रम का प्रतिनिधान करे न कि रूढ़गत स्वार्थों का अथवा इसके विपरीत

[श्री टी.टी. कृष्णमाचारी]

यह कि उत्तर आगार में केवल रूढ़गत स्वार्थों का प्रतिनिधान हो न कि श्रम का अथवा यह कि दोनों का समान रूप से प्रतिनिधान हो और प्रान्तों में प्रकार्य सम्बन्धी हितों के प्रतिनिधियों को उसमें रखा जाये या न रखा जाये। ये सब ऐसे विषय हैं जिन पर विचार करने का और यदि वह उचित समझती है तो उनमें परिवर्तन करने का इस सभा को पूर्ण स्वातन्त्र्य है। पर मैं समझता हूं कि 18 जुलाई सन् 1947 को वचनबद्ध होने के कारण तथा उस वचन को इस रूप में स्वीकार कर और भी अधिक दृढ़ बनाने के कारण प्रान्तों के प्रतिनिधियों ने उन विशिष्ट प्रान्तों में दूसरा आगार रखना स्वीकार कर लिया है, जिनको मेरे मित्र डॉक्टर अम्बेडकर द्वारा पेश किये गये संशोधन में गिनाया गया है, मैं समझता हूं कि सभा के लिये मूल प्रश्न पर इस रूप में और अधिक विचार करना ठीक नहीं है कि किसी विशिष्ट प्रान्त में उत्तर आगार होना चाहिये या नहीं। अत: इस विषय को ऐसा ही रहने देना चाहिये और जिस रूप में सभा के समक्ष यह अनुच्छेद रखा गया है, उसी रूप में इसे स्वीकार कर लेना चाहिये।

*__श्री विश्वनाथ दास__ (उड़ीसा : जनरल): संसार के विभिन्न राज्यों में उत्तर आगारों की कार्यशैली का पुनरीक्षण कर मैं सभा को कष्ट नहीं देना चाहता हूं। जिन सीमाओं में मैं यहां सीमित हूं उनसे परे यह कार्य है। श्रीमान्, इतना कहना ही काफी है कि प्रान्तों में जिस प्रकार के दूसरे आगारों की रचना के लिये कहा जा रहा है, वह रचना कई रूप में उन दूसरे आगारों की रचना से भिन्न है जो आपको संसार के अनेकों राज्यों में आज कार्य करते दिखाई देते हैं। इतना ही यथेष्ट है कि केन्द्र में हमारे यहां दूसरा आगार है। केन्द्र में दूसरा आगार भी उस ऐश्वर्य और उत्तरदायित्व से गिर जाता है जो संयुक्त राज्य अमरीका जैसे उन्नत राज्यों में उस आगार को प्राप्त है। आजकल यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि वह आगार जिसका अप्रत्यक्ष निर्वाचन है, इससे भी न्यून स्थिति में वह आगार जिसमें मनोनीतकरण है देश में न्यूनातिन्यून ऐश्वर्य तथा प्रभाव रखता है और वह किसी कानून-निर्माण की प्रगति को रोकता है चाहे वह कानून जल्दबाज़ी का हो अथवा चाहे क्रान्तिकारी हो। इन परिस्थितियों में प्रान्तों में दूसरे आगार के लिये जिस प्रणाली को सोचा जा रहा है और जिसको प्रयोग में लाने के लिये तैयार किया जा रहा है, वह बहुत उपयोगी नहीं है। हमने उसमें बहुत-सी बातों का

जमघट रखा है। आपने उसमें अप्रत्यक्ष निर्वाचन रखा है, आपने उसमें मनोनीतकरण भी रखा है, फिर मंत्रिमंडलों की इच्छा पर निर्भर करते हुये आपने उसमें निर्वाचन और सूची का मिश्रण रखा है। इन परिस्थितियों में दूसरे आगार के लिये जो प्रणाली सोची गई है वह लाभदायक नहीं है और मैं तो यहां तक कहूंगा कि वह उपयोगी भी नहीं होगी। अत: वह उस अवर आगार के निर्णय पर प्रभाव नहीं डाल सकती है जिसका वह प्रतिबिम्ब मात्र है और वह भी एक दु:खद प्रतिबिम्ब। श्रीमान्, दूसरी बात यह है कि यदि अवर आगार जल्दबाज़ी में कोई कानून बनाना चाहता है तो वह उसे नहीं रोक सकता है क्योंकि उसे परिमित सीमाओं में कार्य करना होगा। श्रीमान्, इन परिस्थितियों में प्रान्तों के लिये जो दूसरा आगार सोचा गया है वह उपयोगी नहीं है और क्या मैं यह भी कहूं कि वह एक कीमती दिखावा होगा। जहां तक हमारे प्रान्त का सम्बन्ध है, मैं इस सभा के माननीय सदस्यों को धन्यवाद देता हूं, विशेषकर उनको जिन्हों ने इस विषय को प्रान्तों पर छोड़ने का निर्णय कराया। यह बिल्कुल ठीक है कि इस प्रश्न पर प्रान्तों के प्रतिनिधियों को निर्णय करने के लिये आमन्त्रित किया। मैं नहीं समझता हूं कि इस प्रश्न के विरुद्ध क्या-क्या और कितना कहा जाता जैसा कि श्री कृष्णमाचारी ने उल्लेख किया था। यह सच है कि इसे प्रान्तों पर छोड़ा गया था। मेरे मित्र कहते हैं कि प्रान्तों ने निर्णय कर लिया हैं। मैं यह नहीं जानता कि उन्होंने कब निर्णय किया। मैं उड़ीसा प्रान्त का हूं। हमको उड़ीसा के प्रतिनिधियों को एक बार के अतिरिक्त इस प्रश्न पर वाद-विवाद करने के लिये और कभी नहीं बुलाया गया और जो कुछ निर्णय किया गया, वह दूसरे आगार की रचना के विरुद्ध था।

श्रीमान्, मैं धन्यवाद दे चुका हूं और समिति को तथा इस सभा के माननीय सदस्यों को फिर इस बात के लिये धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने इस प्रश्न को प्रान्तों पर पूर्णतया छोड़ा। जो निर्णय हमने किया है उसके करने में अपनी ओर से हम ने बहुत ही सावधानी बरती। हमने मंत्रियों को तथा उड़ीसा के प्रधानमंत्री तक को, जो इस महान् सभा के सदस्य हैं और यद्यपि वे उस समय उपस्थित न थे, सूचना दी। हमारे पास मंत्रिमण्डल के भी विचार थे और हमारे पास प्रधानमंत्री के भी विचार थे तथा प्रतिनिधि सदस्यों के भी विचार थे। अपने को और भी अधिक सुदृढ़ बनाने के लिये हमने उन सब राज्यों के प्रतिनिधियों को निमंत्रित किया जो उड़ीसा राज्य में सम्मिलित हो गये है; यहां तक कि उन राज्यों के प्रतिनिधियों को

[श्री विश्वनाथ दास]

भी निमंत्रित किया जो उड़ीसा राज्य में मिलना चाहते हैं। उन सबको बुलाया गया था और उनको विचार-विमर्श में भाग लेने दिया था, अतः इस प्रकार इन सब लोगों के मिल कर विचार-विमर्श करने के फलस्वरूप हम, केवल एक सदस्य श्री साहू को छोड़ कर, सर्वसम्मति इस निर्णय पहुंचे। हम बहुमत से इस निर्णय पर पहुंचे कि हम दूसरा आगार नहीं रखेंगे। श्रीमान्, दूसरे आगार लाभदायक नहीं है। वे उपयोगी भी नहीं हैं। जैसा कि मैं कह चुका हूं वे केवल अलंकारिक है। यदि वे अलंकारिक भी होते तो भी कुछ बात थी, क्योंकि अलंकारों का अपना मूल्य होता है, वे वस्तुओं को मनोहर तो बनाते ही है। परन्तु यहां तो इन पर बहुत खर्च करना पड़ेगा—उसके कारण प्रान्त की निधि पर बहुत अधिक भार पड़ेगा और कोई लाभ होगा नहीं। इन सब बातों के कारण मैं समझता हूं कि वह नितान्त अनावश्यक है और वह एक ऐसा उपकरण है जिसको यदि उतार फेंका जाये तो अच्छा है।

*__उपाध्यक्षः__ डॉ. अम्बेडकर!

*__श्री एच.वी. कामत__ (मध्यप्रान्त और बरार : जनरल): उपाध्यक्ष महोदय, ...।

*__उपाध्यक्षः__ श्री कामत मध्यप्रान्त के हैं जिसमें उत्तर आगार है ही नहीं। (*हंसी*)

*__श्री एच.वी. कामतः__ श्रीमान्, इसीलिये तो मैं बोलना चाहता हूं।

*__उपाध्यक्षः__ मैं समझता हूं कि इस विषय पर यथेष्ट वाद-विवाद हो चुका है। लगभग चार और माननीय सदस्य बोलना चाहते हैं, परन्तु हम डेढ़ घण्टा तो व्यतीत कर ही चुके हैं और हमें प्रति दिन नियत प्रगति करनी है। जिन सज्जनों को निराश होना पड़ा है उनसे मैं क्षमायाचना कर सकता हूं। वर्तमान परिस्थितियों में मैं इससे अधिक और कुछ नहीं कर सकता हूं। डॉ. अम्बेडकर!

*__माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकरः__ उपाध्यक्ष महोदय, इस अनुच्छेद पर जितने संशोधन पेश किये गये हैं, उनमें से मैं किसी को भी स्वीकार नहीं कर सकता हूं। जो भाषण दिये गये हैं उनसे मुझे यह विदित होता है कि विभिन्न प्रान्तों में दूसरा आगार रखने के सिद्धान्त के पक्ष में उतना एकमत नहीं है। दूसरे आगारों

के विरुद्ध सभा में जो विचार प्रकट किये गये हैं उनसे मुझे आश्चर्य नहीं हुआ है। जब से फ्रांस की विधान-परिषद् समवेत् हुई है तभी से लगातार एक ऐसी विचारधारा चली आ रही है जो दूसरे आगार के विरुद्ध है। मैं नहीं समझता हूं कि उन लोगों के विचार जो दूसरे आगार के विपक्ष में हैं एबे सैयीस (Abbe seiyes) के शब्दों से अधिक सुन्दर शब्दों में व्यक्त किये जा सकते हैं। उनकी आलोचना दोनों ओर थी। उन्होंने कहा कि यदि उत्तर आगार अवर आगार से सहमत हो जाता है, तब तो यह निरर्थक है और यदि वह अवर आगार से सहमत नहीं होता है तो वह एक दुष्टतापूर्ण आगार है और हमें उसका स्वागत नहीं करना चाहिये। (*हंसी*) एबे सैयीस की आलोचना का प्रथम भाग नि:सन्देह ठीक है क्योंकि वह बिल्कुल स्पष्ट है। परन्तु एबे सैयीस की आलोचना के दूसरे भाग से अभी तक कोई भी सहमत नहीं हुआ है। यहां तक कि फ्रांस के राष्ट्र ने भी इस विचार को स्वीकार नहीं किया है। उन्होंने भी लगातार दूसरे आगार को रखने के सिद्धान्त का निर्वाह किया है।

मेरे निजी विचार ये हैं कि मैं स्वयं यह नहीं कह सकता हूं कि मैं दूसरे आगार का पहले से ही कट्टर समर्थक था। मेरे लिये तो यह पादरी के उस अंडे के समान है जिसके केवल कुछ भाग अच्छे हैं। (*हंसी*) इस विधान से केवल हम प्रयोगात्मक रूप में दूसरे आगार का पुर:स्थापन करते हैं। विधान के मसौदे द्वारा हमने दूसरे आगार को स्थायी स्थान नहीं दिया है। हमने उसे अपने विधान का स्थायी भाग नहीं बनाया है। वह केवल एक प्रयोगात्मक साधन है जैसा कि मैं कह चुका हूं और वर्तमान अनुच्छेद 304 में दूसरे आगार से मुक्त होने के लिये पर्याप्त व्यवस्था है। जब हम अनुच्छेद 304 के गुण और दोषों पर विचार करेंगे जो दूसरे आगार के हटाने से सम्बन्ध रखता है और यदि माननीय सदस्य यह समझेंगे कि अनुच्छेद 304 में दिये हुये प्रावधानों को और भी अधिक शिथिल करना चाहिये, जिससे कि दूसरे आगार से मुक्त होने की विधि सरल हो जाये, तो अपनी ओर से मैं यह कह सकता हूं कि मैं कोई आपत्ति नहीं करूंगा। (*वाह, वाह*), अत: मैं एक प्रकार के समझौते के रूप में यह निवेदन करता हूं कि इस अनुच्छेद को विधान में रहने दिया जाये।

***उपाध्यक्ष:** अब मैं एक-एक करके संशोधनों पर मत लूंगा।

प्रस्ताव यह है:

"कि अनुच्छेद 148 के वर्तमान खंड (1) के स्थान में निम्न खण्ड रखा जाये:—

'(1) For every State there shall be a Legislature which shall consist of such number of Houses, not exceeding two, as Parliament shall determine by law in each case; provided that it shall be open to the Legislature of any State to request the Parliament of the Union to change a bicameral into unicameral Legislature and such request being duly made and received, Parliament shall pass the necessary legislation.' "

[(1) प्रत्येक राज्य के लिये एक विधान-मण्डल होगा जिसमें आगारों की उतनी ही संख्या, पर दो से अधिक नहीं, होगी जितनी संसद् प्रत्येक राज्य के लिये विधि द्वारा निश्चित करे; परन्तु किसी राज्य के विधान-मण्डल को यह छूट होगी कि वह द्विआगारिक विधान-मण्डल को इकआगारिक विधान-मण्डल में परिवर्तित करने के लिये निवेदन कर सके और इस प्रकार का निवेदन उचित रूप से करने और प्राप्त हो जाने के पश्चात् संसद् आवश्यक कानून पारित करेगी।]

संशोधन अस्वीकार किया गया।

***उपाध्यक्ष:** प्रस्ताव यह है :

"कि अनुच्छेद 148 के खण्ड (1) के उपखण्ड (क) में 'States of' (शासक और) शब्दों के पश्चात् 'Orissa' (उड़ीसा) शब्द प्रविष्ट कर दिया जाये।"

संशोधन अस्वीकार किया गया।

***उपाध्यक्ष:** प्रस्ताव यह है:

"कि अनुच्छेद 148 के खण्ड (1) के उपखण्ड (क) में 'in the States' (शासक, और) शब्दों के पश्चात् 'Madras, Bombay,

West Bengal, the United Provinces, Bihar and East Punjab' (मद्रास, बम्बई, पश्चिमी बंगाल, संयुक्तप्रान्त, बिहार और पूर्वी पंजाब) शब्द प्रविष्ट किये जायें।"

संशोधन स्वीकार किया गया।

***उपाध्यक्ष:** श्री एल. कृष्णास्वामी भारती के संशोधन संख्या 2231 पर मत लेने की आवश्यकता नहीं है।

अब सभा के समक्ष यह प्रस्ताव है:

"कि संशोधित रूप में अनुच्छेद 148 विधान का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकार किया गया।

संशोधित रूप में अनुच्छेद 148 विधान में प्रविष्ट किया गया।

अनुच्छेद 149

***उपाध्यक्ष:** तत्पश्चात् हम अनुच्छेद 149 पर आते हैं।

सभा के समक्ष यह प्रस्ताव है:

"कि अनुच्छेद 149 विधान का भाग बने।"

संशोधनों पर आते हुए मैं देखता हूं कि संशोधन संख्या 2234 और संशोधन संख्या 2235 का प्रथम भाग समान है। संशोधन संख्या 2234 पेश किया जा सकता है।

(संशोधन संख्या 2234 पेश नहीं किया गया।)

संशोधन संख्या 2235, जो श्री लारी के नाम से है, पेश किया जा सकता है।

(संशोधन संख्या 2235 पेश नहीं किया गया।)

संशोधन संख्या 2240 । जिस सदस्य ने इस संशोधन की सूचना दी है वे इसे पेश नहीं कर रहे हैं।

शाब्दिक होने के कारण श्री नजीरुद्दीन अहमद का संशोधन संख्या 2236 पेश नहीं किया जा सकता।

[उपाध्यक्ष]

संशोधन संख्या 2237 और 2238 समानार्थी हैं। पीछे वाला संशोधन अधिक व्यापक होने के कारण पेश किया जा सकता है। जिस सदस्य का उससे सम्बन्ध है वह इसे पेश नहीं कर रहे हैं। इसलिये संशोधन संख्या 2237 पेश किया जा सकता है। यह भी पेश नहीं किया गया।

इसके बाद हम श्री दामोदरस्वरूप सेठ के नाम के संशोधन संख्या 2239 पर आते हैं। इस संशोधन को पेश किया जा सकता है। मैं समझता हूं कि उक्त सदस्य सभा में नहीं हैं, अतः यह पेश नहीं किया जाता है।

संशोधन संख्या 2241 और 2242 समान हैं।

संशोधन संख्या 2241 को पेश किया जा सकता है। वह डॉ. अम्बेडकर के नाम से है।

***एक माननीय सदस्यः** उसको पेश नहीं किया जाता है।

('सदस्य सभा में नहीं है' की ध्वनियां) (*हंसी*)

***उपाध्यक्षः** (माननीय डॉ. अम्बेडकर को सभा में आते हुए देख कर) माननीय सदस्यों को बाहर जा कर काफी पीने अथवा धूम्रपान करने की पूर्ण स्वतन्त्रता है। माननीय सदस्य उन लोगों की कठिनाइयों पर कृपया विचार करेंगे जो इन दोनों प्रकार की श्रांतियों के अभ्यस्त हैं। माननीय सदस्य इस बात से सहमत होंगे कि डॉ. अम्बेडकर इस प्रकार की श्रान्तियों का अधिकारी है। अध्यक्ष को तो वाद-विवाद सुनने के अतिरिक्त और कुछ नहीं करना पड़ता है, परन्तु डॉक्टर अम्बेडकर को तो वाद-विवाद सुनना पड़ता है और उत्तर देना पड़ता है। (*हंसी*)

मैं समझता हूं कि श्री लोकनाथ मिश्र और श्री नन्दलाल संशोधन संख्या 2242 पेश नहीं कर रहे हैं।

संशोधन संख्या 2243 को पेश नहीं करने दिया जाता है क्योंकि वह शब्दिक है।

संशोधन संख्या 2244 तथा संशोधन संख्या 2245 का प्रथम भाग एक समान है। पिछला संशोधन पेश किया जा सकता है। चूंकि प्रो. शिब्बनलाल सक्सेना सभा में उपस्थित नहीं हैं वह संशोधन पेश नहीं किया जाता है। अत: संशोधन संख्या 2244 पेश किया जा सकता है। इस संशोधन को पेश करने वाले सदस्य इसे पेश नहीं कर रहे हैं। संशोधन संख्या 2245 का दूसरा भाग भी पेश नहीं किया जाता है क्योंकि उक्त सदस्य सभा में नहीं हैं। इसके बाद संशोधन संख्या 2246 जो श्री मुहम्मद ताहिर तथा सैयद जफर इमाम के नाम से है, यह भी पेश नहीं किया जाता है क्योंकि इसको पेश करने वाले सदस्य अनुपस्थित हैं।

प्रो. शाह संशोधन संख्या 2247 तथा उसके बाद के संशोधन संख्या 2248 को भी पेश कर सकते हैं।

प्रोफेसर के.टी. शाह: उपाध्यक्ष महोदय, जैसा आपने कहा है उसके अनुसार मैं दोनों संशोधनों को अभी पेश कर रहा हूं। मैं प्रस्ताव पेश करता हूं:

"कि खण्ड (2) के पश्चात् निम्न नवीन खण्ड प्रविष्ट किये जायें:

'(2-a) No person shall be entitled to be a candidate or offer himself for election to either House of a State Legislature, if Bicameral, or to the Legislative Assembly of the State, who is duly certified to be of unsound mind, or suffering from any other physical or mental incapacity, duly certified, or is less than 25 years of age at the time of offering himself for election, or has been proved guilty of any offence against the safety, security or integrity of the Union, or of bribery and corruption, or of any malpractice at election, or is illiterate.

No one who is unable to read or write or speak the principal language spoken in the State for seat in whose Legislature he offers himself for election, or after a period of ten years from the date of the coming into operation of the Constitution, is unable to read or write or speak the National Language of India, shall be entitled to be a candidate for or other himself to be elected to seat in the State Legislature, or either House thereof.

[प्रोफेसर के.टी. शाह]

(2-b) The election shall be on the basis of proportional representation with a Singler Transferable Preference Vote. For the purpose of election, every State shall be deemed to be a single constituency, and every member shall be deemed to have been elected in the order of Preference as recorded by the electors; and this arrangement shall hold good in the case of a General Election, as well as at a by-election, if and when one becomes necessary:

Provided that where there is a second chamber in any State, the voters may be grouped, for electing members to the Legislative Council, on the basis of trade, profession, occupation or interest recognised for the purpose by an Act of the State Legislature, each trade, profession, occupation or interest voting as a single constituency for the entire State.' "

[(2-क) राज्य के विधान-मण्डल में या राज्य के विधान-मण्डल के किसी भी आगार में यदि वह द्विआगारिक है तो कोई भी व्यक्ति जो उचित रीति से विक्षिप्त अथवा अन्य किसी प्रकार के शारीरिक अथवा मानसिक असामर्थ्य से पीड़ित प्रमाणित कर दिया गया है, या निर्वाचित होने के लिये अपने आपको प्रस्तुत करते समय 25 वर्ष की आयु से कम का है, या संघ की क्षेम, सुरक्षा अथवा अक्षुण्णता के विरुद्ध या उत्कोच तथा दुराचार के प्रति या निर्वाचन में भ्रष्टाचार के प्रति किसी अपराध का दोषी सिद्ध कर दिया गया है या निरक्षर है तो वह निर्वाचित होने के लिए अपने आपको प्रस्तुत करने का या उम्मीदवार बनने का अधिकारी न होगा।

कोई भी व्यक्ति यदि उस राज्य में बोली जाने वाली प्रमुख भाषा को लिख, पढ़ या बोल नहीं सकता है, जिसके विधान-मण्डल में स्थान प्राप्त करने के लिए निर्वाचन में वह अपने आपको प्रस्तुत करता है या इस विधान के प्रवर्तन में आने की तिथि से दस वर्ष की अवधि के पश्चात् भारत की राष्ट्रीय भाषा को लिख, पढ़ या बोल नहीं सकता

है, तो वह राज्य के विधान-मण्डल या उसके किसी आगार में निर्वाचित होने के लिए अपने आपको प्रस्तुत करने का या उम्मीदवार बनने का अधिकारी न होगा।

(2-ख) निर्वाचन अनुपाती प्रतिनिधान के अधिकार पर एकल संक्राम्य प्रश्रयात्मक मत पद्धति के अनुसार होगा। निर्वाचन के लिए प्रत्येक राज्य को एक निर्वाचनक्षेत्र समझा जायेगा और निर्वाचकों द्वारा लिखित प्रश्रयात्मक क्रम के अनुसार प्रत्येक सदस्य निर्वाचित समझा जायगा और सामान्य निर्वाचन करने में तथा यदि कभी आवश्यक हो तो उपनिर्वाचन करने में भी यही प्रबंध ठीक समझा जायेगा :

परन्तु किसी राज्य में जहां दूसरा आगार है वहां इस प्रयोजन के लिए राज्य के विधान-मण्डल के किसी अधिनियम द्वारा अभिस्वीकृत व्यापार, व्यवसाय, वृत्ति अथवा हित के अधिकार पर मतदाताओं के समूह बनाये जा सकते हैं और समस्त राज्य के लिय प्रत्येक व्यापार, व्यवसाय, वृत्ति अथवा हित एक-एक निर्वाचन-क्षेत्र के रूप में मतदान करेगा।] और

"कि अनुच्छेद 149 का खण्ड (3) निकाल दिया जाये और उसके स्थान में निम्न खण्ड रखा जाये:-

'The representation in the State Legislature shall be on the basis of one representative for every lakh of population:

Provided that the total number of members in the Legislative Assembly of a State shall in no case be less than sixty.'

(प्रति लाख जनगणना के लिए एक प्रतिनिधि के आधार पर राज्य के विधान-मण्डल में प्रतिनिधान होगा:

परन्तु किसी दशा में भी किसी राज्य के विधान-मण्डल के समस्त सदस्यों की संख्या साठ से कम नहीं होगी।)

संशोधन संख्या 2247 में बहुत-सी ऐसी बातें हैं जो सभा में इससे पहले किसी अवसर पर रखी जा चुकी हैं। वे उन निर्योग्यताओं और योग्यताओं से सम्बन्ध रखती हैं जिनका वर्णन केन्द्रीय विधान-मण्डल की रचना पर वाद-विवाद करते समय किया गया था। यह स्पष्ट है क उस समय सभा मुझसे सहमत नहीं

[प्रोफेसर के.टी. शाह]

हुई और किसी न किसी प्रकार से मेरी प्रस्तावना को अस्वीकार कर दिया। अब स्थानीय विधान-मण्डलों के दृष्टिकोण से मैं उनको फिर प्रस्तुत कर रहा हूं और मैं आशा करता हूं कि इस बार इनका पहले से अच्छा भाग्य रहेगा।

यह एक बड़े महत्त्व की बात है कि विधान-मण्डलों के बनने तक चाहे आप समस्त मतदाताओं को साक्षर न बना सकें, मेरी सम्मति में आपको इस बात पर अवश्य ज़ोर देना चाहिये कि विधान-मण्डल के उच्च पद के लिये उम्मीदवार कुछ रूपों में योग्य हों अथवा कुछ रूपों में निर्योग्य न हों।

जिन योग्यताओं का मैंने विचार प्रस्तुत किया है वे बहुत साधारण हैं, बहुत अनुचित नहीं हैं और किसी रुप में भी प्रजातन्त्र के आधारभूत सिद्धान्तों के विरुद्ध नहीं हैं, अर्थात् प्रत्येक को अपना प्रतिनिधि चुनने का अधिकार होना चाहिये। इसको मान लेने पर भी यह वांछनीय है कि जो प्रतिनिधि होना चाहते हैं, वे यदि सम्पत्ति की, आर्थिक शक्ति की अथवा किसी ऐसे साधन की, जो परस्पर नागरिकों में किसी असमानता का द्योतक हो, योग्यता नहीं रखते हैं तो कम से कम इतनी योग्यता तो रखें जैसे कि सेवा करने की क्षमता, अपने समक्ष आने वाले वादहेतुओं को समझने की योग्यता और इतनी ईमानदारी कि वे विधान-मण्डल में अपना निष्पक्ष मत दे सकें, जिससे कि देश के लाभार्थ ठीक विधान बन सके। मैं समझता हूं कि यद्यपि यह सम्भव हो सकता है कि सिद्धान्त के आधार पर बराबरी के योग्य तथा आदरणीय लोगों में मतभेद हो किन्तु फिर भी हमें उन लोगों को अलग करना होगा जो कुछ ऐसी निर्योग्यताएं रखते हैं जिनको मैंने अपने संशोधन में रखा है। मैं उन लोगों के समक्ष जो इस मसौदे के प्रति उत्तरदायी हैं तथा सभा के समक्ष भी यह प्रस्ताव रखता हूं कि चाहे हम वैसा ही निर्णय करें जैसा हम कर चुके हैं और उस पर आग्रह करें कि पूर्ण साक्षरता प्राप्त करने की प्रतिज्ञा किये बिना सब प्रौढ़ व्यक्तियों को मताधिकार मिल जाये, पर तो भी हमें इस बात पर ज़ोर देना चाहिये कि उम्मीदवार में कुछ योग्यतायें हों और कुछ निर्योग्यतायें न हों जिनको स्पष्ट करने का मैंने प्रयत्न किया है। ये केवल उदाहरणमात्र हैं न कि स्वयं गुणों की सूचियां अथवा पूरी की पूरी योग्यतायें। विधान-मण्डल के सामने जो वादहेतु प्रस्तुत किये जायेंगे उनको समझने के लिये मैंने कम से कम आवश्यकताओं से अधिक और किसी बात का वर्णन नहीं किया है। अत: मैं सोचता हूं कि ठीक और उचित यही है कि कम से कम उम्मीदवारों के लिये

हम इन योग्यताओं पर आग्रह करें। इसी प्रकार से जो सदस्य बनें वे दोषों तथा अपराधों से प्रमाणित नहीं होने चाहियें। इसको विधान-मण्डल बनाने की एक सामान्य बात के रूप में मान लेना चाहिये और मेरी ओर से इस पर और अधिक तर्क करने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिये।

इस संशोधन के एक भाग में मैंने एक बात रखी है जो आनुपातिक प्रतिनिधान से सम्बन्ध रखती है। सभा उस विचार के पक्ष में नहीं है इसलिये मैं इस बात पर ज़ोर नहीं दूंगा। बहुत कुछ सम्भव है कि यह क्रम के विरुद्ध घोषित किया जाये इसलिये मैं इस पर ज़ोर नहीं दूंगा।

अपने संशोधन संख्या 2248 में आखिरी बात जिस पर मैंने ज़ोर दिया वह यह है कि प्रति लाख जनगणना के लिये एक प्रतिनिधि के आधार पर राज्य के विधान-मण्डल में प्रतिनिधान होगा : परन्तु किसी दशा में भी राज्य के विधान-मण्डल के समस्त सदस्यों की संख्या साठ से कम नहीं होगी। मैं यह स्वीकार करता हूं कि पूर्ववर्ती भाग में मनमानी बात हैं। उसमें परिवर्तन हो सकता है। मैंने उसे केवल इसलिये प्रस्तुत किया है कि मैंने सोचा कि विधान-मण्डल के बड़ी-बड़ी संख्याओं की जनगणना का वास्तविक प्रतिनिधि होने के लिये और साथ ही साथ प्रबन्ध करने योग्य अनुपात में सदस्य संख्या रखने के लिये वह एक सूचक है। एक लाख बहुत बड़ी संख्या है। एक लाख की जनसंख्या में प्रौढ़ मतदाताओं की संख्या लगभग 50 या 60 हज़ार होगी, अत: उन वादहेतुओं की बहुलता पर स्पष्ट निर्णय प्राप्त करने की सम्भावना जिनको सामान्य निर्वाचन के समय प्रान्तीय निर्वाचक-समूह के समक्ष रखा जायेगा, उतनी अधिक हो जायेगी कि मतदाता ठीक-ठीक यह न कह सकेगा कि उस निर्वाचक-समूह के सामने प्रत्येक वादहेतु पर समस्त मतदाताओं द्वारा स्पष्ट मत ले लिया गया है, चाहे सब मतदाता मतदान करने जायें।

परन्तु इस परिमित सीमा को समझते हुये मेरे विचार में विधान-सभाओं के प्रबन्ध करने योग्य परिमाण में रखने की व्यावहारिक आवश्यकता भी थी और इसीलिये इस प्रकार की मनमानी संख्या नियत करना आवश्यक है। मैं समझता हूं कि इसका प्रतिकार केवल इसी प्रकार हो सकता है कि आप विधायी संगठन की विधि की अपेक्षाकृत छोटी-छोटी जनसंख्याओं की इकाइयों में जारी रखें,

[प्रोफेसर के.टी. शाह]

अर्थात् बड़े-बड़े प्रान्तों से इसी विधि को जिले या म्युनीसिपल तक ले जायें, जहां कदाचित् आपको बहुत अधिक प्रत्यक्ष प्रतिनिधान प्राप्त हो जायेगा और इस प्रकार प्रत्यक्ष लोक-राज्य हो जायेगा। परन्तु जिस रूप में प्रान्त अथवा राज्य इस समय वर्तमान हैं उसके अनुसार इस प्रकार की संख्या रखना अनिवार्य-सा प्रतीत होता है जो कि रखी गई है और इसके अतिरिक्त मैं उसके और अधिक गुण नहीं बता सकता हूं कि किसी और अधिक बड़ी संख्या की अपेक्षा यह संख्या अधिक प्रत्यक्ष तथा अधिक पूर्ण लोकप्रतिनिधान प्रदान करेगी। शेष के लिये, इस संशोधन का दूसरा भाग कम से कम, न कि अधिक से अधिक संख्या प्रदान करता है। मैं ऐसा खण्ड रखने के विरुद्ध हूं जो इस आधार पर किसी प्रान्त अथवा राज्य में पाये गये प्रतिनिधियों की अधिक से अधिक संख्या प्रदान करता है कि इस प्रकार की अधिक से अधिक संख्या, नियत करने से, चाहे वह कितनी ही हो, आप बड़े निर्वाचक-समूह को स्वयं स्थापित करने के अधिकार से वंचित करते हैं। ऐसा नहीं है कि आप मताधिकार से वंचित कर रहे हों बल्कि बात यह है कि आप उनको इस प्रकार से संगठित कर रहे हैं कि उनकी एक बड़ी संख्या अन्य संख्याओं के प्रभाव को दूर कर सके और इस प्रकार से आपके प्रतिनिधि सच्चे प्रतिनिधि नहीं हो सकते। इन आधारों पर मैं सभा के समक्ष ये दोनों प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं।

***उपाध्यक्ष:** इससे आगे मि. नज़ीरुद्दीन अहमद के नाम का संशोधन संख्या 2249 है।

***श्री नज़ीरुद्दीन अहमद** (पश्चिमी बंगाल : मुस्लिम): श्रीमान्, आपकी अनुमति से मैं इस संशोधन के स्थान में एक वैकल्पिक संशोधन को जो सूची 2 में संख्या 48 पर है पेश करना चाहता हूं, क्योंकि मैं समझता हूं कि उस रूप में वह सभा को मान्य होगा। श्रीमान्, मैं प्रस्ताव पेश करता हूं:

"कि संशोधनों की सूची में संशोधन संख्या 2249 के स्थान में निम्न संशोधन रखा जाये:

"कि अनुच्छेद 149 के खण्ड (3) में 'last preceding census (अन्तिम पूर्ववर्ती जनगणना) शब्दों के स्थान में 'last preceding census of which the relevant figures have been published' (अन्तिम पूर्ववर्ती जनगणना जिसके आंकड़े प्रकाशित हो चुके हैं) शब्द रखे जायें।"

दो अन्य प्रसंगों में यह सिद्धान्त स्वीकार किया जा चुका है। खण्ड (3) में यह दिया गया है कि प्रत्येक एक लाख जनसंख्या के लिये एक प्रतिनिधि होना चाहिये। यह भी कहा गया है कि यह जनसंख्या अन्तिम पूर्ववर्ती जनसंख्या से ली जायेगी। मेरा प्रश्न यह है कि पूर्ववर्ती जनगणना के आंकड़े न मिले और उस दशा में हमें पूर्ववर्ती जनगणना को लेना होगा, जिसके आंकड़े हमें मिल सकते हैं। सभा में कुछ संदेह प्रकट किये गये हैं कि क्या 1941 की जनगणना पर निर्भर होना बुद्धिमानी होगी और यह कि जनसंख्या में बहुत हेर फेर होने के कारण 1941 की जनसंख्या निरर्थक हो चुकी है। पश्चिमी बंगाल और पूर्वी पंजाब में ही नहीं बल्कि अन्य प्रान्तों में भी जनसंख्या के आंकड़ों में परिवर्तन हो गया है। जहां तक आगामी निर्वाचन का सम्बन्ध है, मैं यह विचार प्रस्तुत करता हूं कि नई जनगणना होनी चाहिये या प्रत्येक प्रान्त में लोगों की ठीक-ठीक संख्या निश्चित करने की कोई विधि होनी चाहिये और यदि साम्प्रदायिक परिरक्षण दिया जाता है, तो हमें सम्प्रदायों के आधार पर भी आंकड़ों की आवश्यकता होगी। किसी दशा में भी जनसंख्या के आंकड़ों को निश्चित करने की कुछ न कुछ विधि नितान्त आवश्यक है। सिद्धान्त तो स्वीकार हो ही चुका है।

(सूची 4 का संशोधन 61 पेश नहीं किया गया।)

***उपाध्यक्ष:** सूची 4 का संशोधन संख्या 62 जो श्री टी.टी. कृष्णमाचारी के नाम से है।

***श्री टी.टी. कृष्णमाचारी:** उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव पेश करता हूं:

"कि संशोधनों की सूची के संशोधन संख्या 2249 के सम्बन्ध में अनुच्छेद 149 के खण्ड (3) में 'every lakh' (प्रत्येक लाख) शब्दों के स्थान में 'every seventyfive thousand' (प्रत्येक पचहत्तर हज़ार) रखा जाये।"

श्रीमान्, सभा यह समझ जायगी कि यह संशोधन कुछ उन आपत्तियों को दूर करने के लिये है जो शायद एक लाख की संख्या नियत करने में उन क्षेत्रों की ओर से उठाई जाये, जो पिछड़े हुये हैं, जिनका क्षेत्र तो बहुत बड़ा है पर आबादी बहुत कम है। अनेकों प्रान्तों में ऐसे क्षेत्र बहुत हैं। ऐसे बहुत से स्थल हैं जहां शायद पूरा का पूरा तालुका पचहत्तर हज़ार से अधिक संख्या नहीं रखता है। विधान में हमें वास्तविक रूप में यह विचार प्रस्तुत करने हैं कि प्रत्येक मतदाता अपने मत का प्रयोग कर सके, पर उस मत के प्रयोग करने में स्थान की दूरी बहुत

[श्री टी.टी. कृष्णमाचारी]

महत्त्व रखती है। यह हो सकता है कि एक क्षेत्र में जहां कि लगभग पचहत्तर हज़ार व्यक्ति हों, निर्वाचन स्थल के दूर होने के कारण यदि मतदाताओं की समस्त संख्या 75 हज़ार की लगभग आधी होती है, तो चाहे 35 अथवा 37 हज़ार मतदाताओं का एक अंश ही मत न दे सके; अतः समस्या यह है कि हमें उन बातों को कम करना चाहिये जो मतदाताओं के मत देने में बाधा डालें। वास्तव में विधान में, जो प्रौढ़ मताधिकार पर आश्रित है, हम मतदाता को निर्वाचन-स्थल तक लाने के सम्बन्ध में कोई प्रावधान नहीं रख रहे हैं। स्थान की दूरी अनेक लोगों के लिये मत देने में बड़े महत्त्व की होगी। श्रीमान्, इस सभा के सदस्यों के लिये जिन्होंने निर्वाचनों में भाग लिया है यह एक साधारण अनुभव की बात है कि जिस व्यक्ति के पास अधिक संख्या में सवारियां हैं वही मनुष्य निर्वाचनों में जीतता हैं, यद्यपि यह भी बहुधा होता है कि लोग जाते किसी की सवारी में हैं और मत किसी और को देते हैं। परन्तु फिर भी जिस व्यक्ति के पास सबसे अधिक सवारियां हैं वही सबसे अधिक मत प्राप्त करता है। यदि हो सके तो हमें इस विशेष बात के प्रभाव को जो हमारे भावी विधान में प्रवर्तित है, न्यून से न्यून करना चाहिये। अपने देश की विचित्र परिस्थितियों को, विभिन्न प्रान्तों में विचित्र परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुये यह ठीक प्रतीत होता है कि एक लाख की संख्या को कम करके पचहत्तर हज़ार रखा जाये; यद्यपि इसका फल यह होगा कि निर्वाचन-क्षेत्रों में मतदाताओं की संख्या में अन्तर हो जायेगा, परन्तु बाद में शायद हम इस विधान में ऐसे प्रावधान रख सकें जिससे कि ये अन्तर जितना कम हो सके उतना कम कर दिया जाये। मेरे खुद के प्रान्त में शायद 6 या 7 ऐसे निर्वाचन-क्षेत्र हों जहां जनसंख्या पचहत्तर हज़ार ही होगी, पर इसके कारण तत्सम्बन्धी विधान-मण्डल के प्रतिनिध्यात्मक रूप में कमी नहीं होगी अथवा जो क्षेत्र अधिक घने बसे हुये हैं, उनके साथ कोई अन्याय नहीं होगा। यह एक रक्षात्मक खण्ड है जो पिछड़े क्षेत्रों को प्रतिनिधान देने के लिये बहुत आवश्यक है। मैं आशा करता हूं कि सभा इस संशोधन को स्वीकार करेगी।

क्या मैं इससे सम्बन्धित संशोधन को पेश कर सकता हूं जिसकी संख्या 62 है?

***उपाध्यक्षः** आप उसे बाद में पेश कर सकते हैं।

***श्री नज़ीरुद्दीन अहमदः** एक औचित्य प्रश्न है। आपको यह जानकर खुशी होगी कि संशोधन संख्या 2249 और 2250 के सम्बन्ध में जो सूचना मेरे पास भेजी गई है, सबसे पहले तो यह कि उनमें से किसी को भी पेश नहीं किया गया। दूसरी बात यह है कि संशोधन संख्या 2249 के स्थान में मैंने एक दूसरा संशोधन पेश किया है और उसका सम्बन्ध एक बिल्कुल ही दूसरे विषय से है। वास्तव में उसका सम्बन्ध जनगणना से है परन्तु वर्तमान संशोधन इकाइयों की संख्या से सम्बन्ध रखता है।

***उपाध्यक्षः** कृपया ध्वनिविस्तारक यंत्र के निकट आइये। आपकी बात मुझे सुनाई नहीं देती है।

***श्री टी.टी. कृष्णमाचारीः** क्या मैं यह सुझाव करूं कि सभा उनके संशोधन संख्या 2249 पर उनके द्वारा एक अन्य संशोधन पेश कर देने के लिये सहमत हो ही चुकी है, अतः उनको कोई और औचित्य सम्बन्धी आपत्ति उठाने से रोका जाये।

***श्री नज़ीरुद्दीन अहमदः** इस औचित्य प्रश्न के उठाने में मुझे इस संशोधन के औचित्य के सम्बन्ध में कुछ भी नहीं कहना है। मेरा प्रश्न पारिभाषिक है। इस संशोधन में यह कहा गया है कि वह संशोधन संख्या 2249 और 2250 के सम्बन्ध में है। वह सूची 4 में संशोधन संख्या 62 है।

***उपाध्यक्षः** ठहिरये, ठहरिये, इतनी जल्दबाज़ी न करिये।

***श्री नज़ीरुद्दीन अहमदः** संशोधन संख्या 2249 और 2250 के सम्बन्ध में इस संशोधन को पेश करने का प्रयत्न किया गया है। मैंने पहले संशोधन को पेश नहीं किया है। परन्तु संशोधन संख्या 2250 के सम्बन्ध में मैंने उसके स्थान में दूसरा संशोधन पेश किया हैं। यदि इस आशय से स्थानापन्न संशोधन का उल्लेख किया जा रहा है तो उसका सम्बन्ध तो किसी दूसरे विषय से होगा।

***उपाध्यक्षः** आपका विचार यह है कि यहां सूची 4 में संशोधन संख्या 62 को पेश करना ठीक ही है।

***श्री नज़ीरुद्दीन अहमद:** जी हां, मैं इस स्थिति को स्पष्ट कराना चाहता हूं।

***उपाध्यक्ष:** स्थिति बिल्कुल स्पष्ट है और सामान्य विचार यह है कि उसको यहां रखना चाहिये।

***श्री नज़ीरुद्दीन अहमद:** उस अवस्था में हमें भी अन्य संशोधनों के सम्बन्ध में उपस्थित होने का (संशोधन रखने का) अवसर मिलना चाहिये। ऐसी अवस्था में मैं तो खुश होऊंगा।

***उपाध्यक्ष:** शाब्दिक संशोधनों को छोड़ कर अन्य संशोधनों के लिये मैं आपको अवसर देने का प्रयत्न करूंगा जैसा कि मैंने अब तक किया है।

क्या अब हम डॉ. अम्बेडकर के नाम के संशोधन संख्या 2250 को लें?

***माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर:** मैं उसे पेश नहीं कर रहा हूं।

***उपाध्यक्ष:** इस अवस्था में सूची 3 का संशोधन संख्या 59 गिर जाता है।

संशोधन संख्या 2251, 2252 और 2253 क्रमानुसार पेश किये जा सकते हैं।

संशोधन संख्या 2251 को छोड़ दिया जाता है क्योंकि उक्त माननीय सदस्य सभा में नहीं हैं।

संशोधन संख्या 2252 श्री रोहिणी कुमार चौधरी के नाम से है।

***श्री रोहिणी कुमार चौधरी** (आसाम : जनरल): श्रीमान्, आखिर यहां मैं एक संशोधन पेश तो कर रहा हूं!

श्रीमान्, मैं प्रस्ताव पेश करता हूं :

"कि अनुच्छेद 149 के खण्ड (3) में 'autonomous districts' (स्वायत्तशासी मण्डलों) शब्दों के स्थान में 'State' (राज्य) शब्द रखा जायें।"

श्रीमान्, मैं समझता हूं कि मुझे अपने आनन्दोगार में कमी करनी पड़ेगी क्योंकि इस संशोधन पर एक और संशोधन है और मैं समझता हूं कि वह अधिक

मान्य है। इसलिये, श्रीमान्, मैं केवल इस संशोधन को इस कारण पेश करता हूं कि वह दूसरा संशोधन पेश किया जा सके।

***उपाध्यक्षः** इस संशोधन पर संशोधन माननीय श्री गोपीनाथ बारदोलोई के नाम से है।

***माननीय गोपीनाथ बारदोलोई** (आसाम : जनरल): श्रीमान्, मैं प्रस्ताव पेश करता हूं:

"कि संशोधनों की सूची के संशोधन संख्या 2252 के सम्बन्ध में 'autonomus districts of Assam' (आसाम के स्वायत्तशासी मंडलों) शब्दों के पश्चात् 'and the constituency comprising the Cantonment and Municipality of Shillong' (और शिलोंग की नगर-समिति और छावनी वाला निर्वाचन-क्षेत्र) शब्द प्रविष्ट किये जायें।"

श्रीमान्, जो संशोधन श्री टी.टी कृष्णमाचारी ने प्रस्तुत किया है और मैं आशा करता हूं कि सभा उसे स्वीकार कर लेगी, उससे यह एक लाख जनसंख्या के पुराने हिसाब के स्थान में 75,000 जनसंख्या कर दी जायेगी। मैं समझता हूं कि जैसा श्री कृष्णमाचारी के संशोधन से विचार प्रकट होता है, उसके अनुसार यह "आसाम के स्वायत्तशासी मण्डलों" को छोड़ कर अन्य सब स्थानों के लिये लागू किया जा सकता है। इस संशोधन द्वारा हम शिलोंग की नगर-समिति और छावनी वाले निर्वाचन-क्षेत्र को भी पृथक् करने का प्रस्ताव करते हैं। उस निर्वाचन-क्षेत्र में 38,000 जनसंख्या है। वर्तमान काल में वह एक पुरुष के सदस्य बनाने का ही निर्वाचन-क्षेत्र नहीं है। वरन् एक स्त्री सदस्य बनाने का भी निर्वाचन-क्षेत्र है। इसका अर्थ यह हुआ कि 40,000 व्यक्तियों से कम आबादी का निर्वाचन-क्षेत्र वर्तमान समय में दो स्थानों का प्रतीक है। बिना किसी प्रतिनिधान के दिये हुये इस निर्वाचन-क्षेत्र को निर्वाचन-क्षेत्र की श्रेणी से पृथक् करना मेरी सम्मति से बहुत गलत होगा। इस विचार से मैंने इस संशोधन को प्रस्तुत किया है और मैं आशा करता हूं कि सभा इस संशोधन को स्वीकार करेगी।

[माननीय गोपीनाथ बारदोलोई]

जो संशोधन श्री रेहिणी कुमार चौधरी ने पेश किया है, उसके सम्बन्ध में मैं केवल यही कहना चाहता हूं कि वह संशोधन यह विचार प्रस्तुत करता है कि एक लाख जनसंख्या के बारे में इस खण्ड के प्रवर्तन से आसाम प्रान्त को पृथक् रखा जाये।

श्रीमान्, मैं यह समझता हूं कि श्री कृष्णमाचारी द्वारा प्रस्तुत संशोधन को स्वीकार कर लेने से स्थानों की संख्या के बारे में हमारी कठिनाइयां आसानी से हल हो जायंगी। इससे भी अधिक यह कि जो कठिनाइयां अन्य रूप में उत्पन्न होंगी—उसी प्रकार की कठिनाइयां जो स्थानों की संख्या पर इस सभा में उत्पन्न हुई हैं—वे भी यदि हम एक सामान्य गुरु स्वीकार कर लें तो दूर हो जायेगी। मेरी सम्मति में 75,000 का गुरु एक अच्छा गुरु है। अत: मैं नहीं समझता हूं कि श्री रोहिणी कुमार चौधरी द्वारा प्रस्तुत संशोधन संख्या 2252 पर विचार करने की कोई आवश्यकता है। अत: मैं सभा से निवेदन करता हूं कि वह मेरे इस प्रस्ताव को कि शिलोंग की नगर-समिति और छावनी वाले निर्वाचन-क्षेत्र को श्री कृष्णमाचारी द्वारा प्रस्तुत खण्ड के इस 75,000 के प्रवर्तन से पृथक् कर दिया जाये, स्वीकार कर ले।

***उपाध्यक्ष:** इससे आगे का संशोधन संख्या 2253 है, जो रेवेरेन्ड निकोल्स रॉय के नाम से हैं। चूंकि वे सभा में नहीं हैं, इसलिये वह संशोधन छोड़ दिया जाता है।

(संशोधन संख्या 2254 पेश नहीं किया गया।)

***माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर:** श्रीमान्, मैं प्रस्ताव पेश करता हूं:

"कि अनुच्छेद 149 के खण्ड (3) परादिक के स्थान में निम्न परादिक रखा जाये:

'Provided that where the total population of a State as ascertained at the last preceding census exceeds three hundred lakhs, the number of members in the Legislative Assembly of the State shall be on a scale

of not more than one member for every lakh of the population of the State up to a population of three hundred lakhs and not more than five members for every complete ten lakhs of the population of the State in excess of three hundred lakhs:

Provided further that the total number of members in the Legislative Assembly of a State shall in no case be more than four hundred and fifty or less than sixty.'"

(परन्तु जहां किसी राज्य की समस्त जनसंख्या अन्तिम पूर्ववर्ती जनगणना में 3 करोड़ से अधिक निश्चित की गई है, तो वहां उस राज्य की विधान-सभा के सदस्यों की संख्या उस राज्य की प्रत्येक लाख जनसंख्या पर 3 करोड़ की जनसंख्या तक एक सदस्य के हिसाब से और 3 करोड़ से अधिक जनसंख्या पर प्रत्येक पूर्ण दस लाख पर पांच सदस्यों से अनधिक हिसाब से होगी।

और यह भी कि किसी राज्य की विधान-सभा के सदस्यों की समस्त संख्या किसी अवस्था में भी चार सौ पचास से अधिक या साठ से कम नहीं होगी।)

***उपाध्यक्ष:** इस संशोधन पर अनेकों संशोधन हैं। क्या मैं प्रस्तावकों को एक-एक करके बुलाऊं? संशोधन संख्या 31 से संख्या 34 तक संशोधन हैं। संख्या 31 श्री सिधवा के नाम से है।

***श्री आर.के. सिधवा** (मध्यप्रान्त और बरार : जनरल): श्रीमान्, मैं उस संशोधन को पेश नहीं कर रहा हूं।

***उपाध्यक्ष:** संशोधन संख्या 32 प्रो. शिब्बनलाल सक्सेना के नाम से है। माननीय सदस्य सभा में उपस्थित नहीं हैं। संशोधन संख्या 33 और 34 श्री कमलेश्वरी प्रसाद यादव के नाम से है। वे सभा में उपस्थित नहीं हैं। तत्पश्चात् हम संशोधन संख्या 49 पर आते हैं, जो मि. नज़ीरुद्दीन अहमद के नाम से है।

***श्री नज़ीरुद्दीन अहमद:** श्रीमान्, मैं प्रस्ताव पेश करता हूं:

"कि संशोधनों की सूची के संशोधन संख्या 2255 के प्रस्तावित पहले परादिक में 'the last preceding census' (अन्तिम पूर्ववर्ती

[श्री नजीरुद्दीन अहमद]

जनगणना) शब्दों के पश्चात् 'of which the relevant figures have been published' (जिसके आंकड़े प्रकाशित हो चुके हैं) शब्द प्रविष्ट कर दिये जायें।"

श्रीमान्, इसका सिद्धान्त स्वीकार हो ही चुका है।

***उपाध्यक्षः** इसके पश्चात् हम संख्या 63 पर आते हैं, जो श्री जसपतराय कपूर के नाम से है।

***श्री जसपतराय कपूर** (संयुक्तप्रान्त : जनरल): श्रीमान्, मैं इस संशोधन को पेश नहीं कर रहा हूं, और न मैं संशोधन संख्या 64 और 65 को ही पेश कर रहा हूं।

***उपाध्यक्षः** इसके पश्चात् संशोधन संख्या 66 है, जो श्री टी.टी. कृष्णमाचारी के नाम से है।

श्री टी. टी. कृष्णमाचारीः श्रीमान्, मैं प्रस्ताव पेश करता हूं:

"कि अनुच्छेद 149 के खण्ड (3) के परादिक में 'three hundred' (तीन सौ) शब्दों के स्थान में 'five hundred' (पांच सौ) शब्द रखे जायें।"

मैं समझता हूं कि इस संशोधन के कारण डा. अम्बेडकर के संशोधन को स्वीकार करने की आवश्यकता सभा को नहीं होगी।

डॉ. अम्बेडकर का संशोधन यह बताने का प्रयत्न करता है कि क्यों और किसलिये सदस्यों की संख्या को 300 से 450 किया जाये और उसको इस तर्क के आधार पर समझाया गया है कि उसका किस प्रकार हिसाब किया जायेगा। परन्तु इस तथ्य के कारण यह आवश्यक नहीं है कि एक ऐसी संस्था का निर्माण होगा—चाहे उसका निर्माण प्रान्तीय विधान-मंडल द्वारा हो अथवा संसद् द्वारा, जिसके द्वारा कि अन्त में यह सभा निश्चित करे—जो निश्चित रूप से यह निर्धारण करेगी कि प्रान्त में विधान-मंडल के प्रत्येक अवर आगार के सदस्यों की अधिकतम संख्या किस प्रकार निश्चित की जाये। अतः मैं समझता हूं कि इस विधि की व्याख्या करने की कोई आवश्यकता नहीं है कि 300 के अंक से आगे किस रीति से संख्या बढ़ाई जाये।

यह भी अनुभव किया जाता है कि निरंतर बढ़ती हुई जनसंख्या के बड़े-बड़े प्रान्तों के लिय 450 की संख्या पर्याप्त न हो सके, उदाहरणार्थ संयुक्तप्रान्त और मद्रास जहां की जनसंख्या 5 करोड़ से भी अधिक है। अत: इस तथ्य के कारण कि इस सभा में जहां तक केन्द्र से सम्बन्ध है लोक-सभा के प्रतिनिधान के लिये 500 की संख्या स्वीकार कर ली है यह सोचा गया था कि यह संख्या बहुत बड़ी संख्या नहीं होगी।

इन बातों के कारण इस विशिष्ट संशोधन को पेश करने का मुझे साहस हुआ है जिसको मैं समुचित रूप से समझता हूं कि वह डॉ. अम्बेडकर के संशोधन पर संशोधन है और जिसे, मैं आशा करता हूं कि वे कृपा कर स्वीकार करेंगे और अपने संशोधन को वापस ले लेंगे जिससे कि सभा यह सीधे-सीधे निश्चय कर सके कि क्या वह इस संख्या को 300 से 500 तक बढ़ाना चाहती है।

श्रीमान्, मैं यह प्रस्ताव पेश करता हूं।

***उपाध्यक्ष:** इसके बाद हम संशोधन संख्या 2256 पर आते हैं जो बेगम ऐज़ाज रसूल के नाम से है।

***बेगम ऐज़ाज रसूल** (संयुक्तप्रान्त : मुस्लिम): श्रीमान्, मैं प्रस्ताव पेश करती हूं:

> "कि अनुच्छेद 149 के खण्ड 3 के परादिक में 'three hundred' (तीन सौ) शब्दों के स्थान में 'four hundred and fifty' (चार सौ पचास) शब्द रखे जायें।"

सभा को यह स्मरण होगा कि गत वर्ष जब कि विधान के विभिन्न खण्डों पर विचार-विमर्श हो रहा था सभा ने यह निश्चय किया था कि प्रान्तीय विधान-मण्डल के किसी आगार के सदस्यों की संख्या 300 से अधिक नहीं होनी चाहिये। बाद में यह विदित हुआ कि मेरे प्रान्त संयुक्तप्रान्त को इस खण्ड से बहुत अधिक हानि होगी। संयुक्तप्रान्त की जनगणना 5 करोड़ 50 लाख से अधिक है और यदि अवर आगार में सदस्यों की अधिकतम संख्या 300 नियत कर दी जाती है तो इस प्रान्त के साथ एक बड़ा अन्याय होगा। मैं समझती हूं कि यह महान्

[बेगम ऐजाज रसूल]

सभा इस बात से सहमत होगी कि इस बात के लिये कुछ संशोधन करना आवश्यक है। गत वर्ष मैंने 300 की अधिकतम संख्या का इस कारण समर्थन किया था कि 300 से अधिक सदस्यों का आगार बहुत बड़ा हो जायेगा और एक बहुत बड़े आगार में कानून-निर्माण पर वाद-विवाद करने का फल ऐसा नहीं होगा कि वह राज्य में विधान-मण्डल के सुन्दर कार्यकलाप में सहायक हो। परन्तु जैसा कि मैंने यह स्पष्ट बता दिया है कि यदि इस अधिकतम संख्या को माना जाता है तो हमारे प्रान्त की बहुत हानि होती है इसलिये मैं इस संशोधन को पेश कर रही हूं।

मुझे यह देख कर खुशी है कि मसौदा-समिति के सभापति माननीय डॉ. अम्बेडकर ने भी सदस्यों की संख्या 300 सीमित करने के अन्याय और अनौचित्य का अनुभव किया है और उसके लिये वे एक संशोधन पेश कर रहे हैं। अत: जो संशोधन माननीय डॉ. अम्बेडकर ने पेश किया है उससे मेरा संशोधन मजबूत हो जाता है। मैं आशा करती हूं कि 450 की संख्या स्वीकार कर ली जायेगी। यद्यपि जनसंख्या के अनुसार हमारे यहां 550 से अधिक संख्या होनी चाहिये, परन्तु यह विचार करते हुये कि 550 अथवा इससे अधिक सदस्यों का आगार बहुत ही बड़ा हो जायेगा मैं समझती हूं 450 की संख्या से प्रयोजन की पूर्ति हो जायेगी और हम प्रसन्नतापूर्वक यह त्याग स्वीकार करेंगे और हमारी जनसंख्या जितने सदस्य मांगती है उससे कम सदस्य रखेंगे। अत: मैं आशा करती हूं कि यदि माननीय डॉ. अम्बेडकर द्वारा मेरे संशोधन का समर्थन किया जायेगा तो सभा उसे स्वीकार कर लेगी।

इन अल्प शब्दों के साथ मैं इस संशोधन को पेश करती हूं।

***उपाध्यक्ष:** इस संशोधन पर एक संशोधन सूची 1 का संशोधन संख्या 35 है जो पंडित ठाकुरदास भार्गव के नाम से है। क्या वे उसे पेश कर रहे हैं?

***पंडित ठाकुरदास भार्गव** (पूर्वी पंजाब : जनरल): श्रीमान्, मैं एक दूसरा संशोधन पेश कर रहा हूं।

श्रीमान्, मैं प्रस्ताव पेश करता हूं:

"कि संशोधनों की सूची के संशोधन संख्या 2249 के सम्बन्ध में अनुच्छेद 149 के खण्ड 3 में 'Census' (जनगणना) शब्द के पश्चात् निम्न और प्रविष्ट किया जाये:

'except in the case East Punjab and West Bengal where fresh census will be taken to ascertain the population before the first election under this Constitution.' "

(सिवा पूर्वी पंजाब और पश्चिमी बंगाल के जहां कि इस विधान के अनुसार प्रथम निर्वाचन के पूर्व जनसंख्या निश्चित करने के लिये नई जनगणना की जायेगी।)

यह एक बड़ा साधारण-सा प्रस्ताव है और इस पर जोर देने के लिये मुझे सभा का समय नहीं लेना चाहिये। जनसंख्या के प्रयाण करने से पंजाब और पश्चिमी बंगाल में जनसंख्या के अनुपात में परिवर्तन हो गया है और यह जनसंख्या इतनी तुच्छ नहीं है कि उसकी उपेक्षा की जा सके। अत: यह बहुत ही आवश्यक है कि नई जनगणना की जाये। यदि नई जनगणना नहीं की जाती है तो कोई ऐसा अन्य साधन खोजना चाहिये जिससे इन भागों की जनसंख्या को ठीक-ठीक निश्चित किया जा सके। यदि यह नहीं किया जायेगा तो यह कठिनाई होगी कि आरक्षित निर्वाचन क्षेत्रों में उन सम्प्रदायों को, उदाहरणार्थ मुसलमान जो यहां से 50 लाख की संख्या में चले गये हैं, बहुत अधिक प्रतिनिधान मिल जायेगा अपेक्षाकृत हिन्दू और सिखों के जो एक बड़ी संख्या में आ गये हैं—मैं समझता हूं कि उनकी संख्या 40 लाख से अधिक ही है। अत: मेरा निवेदन यह है कि यह देखने के लिये, कि इन 'अन्तिम पूर्ववर्ती जनगणना' शब्दों से उस शेष जनसंख्या को जो यहां आये हुये हैं, कोई कठिनाई न हो, या तो नई जनगणना होनी चाहिये और या कोई अन्य विधि काम में लानी चाहिये।

अत: जैसा कि मैंने दो दिन पूर्व कहा था मैं निवेदन करता हूं कि या तो मतदाताओं की नई सूची इस प्रकार तैयार की जाये कि यदि सम्भव हो सके तो इस साधन से ठीक जनसंख्या निश्चित की जाये—पर मेरा विनम्र निवेदन यह

[पंडित ठाकुरदास भार्गव]

है कि यह न्यूनाधिक रूप से अनुमान ही होगा। ठीक बात तो यह होगी कि प्रथम निर्वाचन के पूर्व इन दोनों प्रान्तों की नई जनगणना की जाये।

***उपाध्यक्षः** आप अपना इसके बाद का संशोधन भी पेश कर सकते हैं।

***पंडित ठाकुरदास भार्गवः** जहां तक इस संशोधन का सम्बन्ध है वह संशोधन संख्या 2260 से सम्बन्ध रखता है और उस संशोधन के पेश हो जाने के पश्चात् मैं उसे पेश करूंगा।

(संशोधन संख्या 2257 और 2258 पेश नहीं किये गये।)

***उपाध्यक्षः** संशोधन संख्या 2259 पंडित ठाकुरदास भार्गव के नाम से है और दो अन्य तथा संशोधन संख्या 2263 प्रो. शिब्बनलाल सक्सेना के नाम से है। ये दोनों संशोधन समानार्थी हैं। संशोधन संख्या 2263 पेश किया जा सकता है।

***प्रो. शिब्बन लाल सक्सेना** (संयुक्तप्रान्त : जनरल): उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव पेश करता हूं:

"कि संशोधनों की सूची के संशोधन संख्या 2263 के स्थान में निम्न रखा जाये:

कि अनुच्छेद 149 के खण्ड (3) के पश्चात् निम्न नवीन खण्ड प्रविष्ट किया जाये:

'(3 a) The ratio between the number of members to be allotted to each territorial constituency in a State and the population of that constituency as ascertained at the last preceding census of which the relevant figures have been published shall, so far as practicable, be the same throughout the State."

[(3 क) किसी राज्य में प्रत्येक प्रादेशिक निर्वाचन-क्षेत्र के लिये नियत की जाने वाली सदस्यों की संख्या और उस निर्वाचन-क्षेत्र की जनसंख्या, जो अन्तिम पूर्ववर्त्ती जनगणना में निश्चित की गई है और जिसके आंकड़े प्रकाशित हो चुके हैं, में अनुपात जहां तक व्यवहार्य्य हो समस्त राज्य में एक ही होगा।]

श्रीमान्, यदि हम अभी पेश किये गये श्री कृष्णमाचारी के संशोधन के साथ-साथ अनुच्छेद 149 के खण्ड 3 दृष्टि डालते हैं तो प्रत्येक विधान सभा में अधिक से अधिक 500 और कम से कम 60 सदस्य हम रखेंगे परन्तु ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि प्रत्येक निर्वाचन-क्षेत्र एक से होंगे। मेरे प्रान्त संयुक्त-प्रान्त में एक निर्वाचन-क्षेत्र 25,000 का हो सकता है तो दूसरा 2 लाख का और यहां तक कि तीसरा 3 लाख का। यह एक ऐसी बात है जिसके कारण इस विधान में कमी आ जाती है। मैं नहीं समझ सकता हूं कि निर्वाचन-क्षेत्र इतने भिन्न-भिन्न प्रकार के कैसे हो सकते हैं एक एक लाख का तो दूसरा दो लाख का और तीसरा पांच लाख का। इस विधान में अवश्य ही एक भारी कमी है।

मैं सभा का ध्यान केवल अनुच्छेद 67 के खण्ड (5) के उपखण्ड (ग) की ओर आकर्षित करना चाहता हूं जिसमें हमने यह व्यवस्था की है कि यद्यपि प्रत्येक 5 लाख से 711 लाख तक एक प्रतिनिधि होगा परन्तु प्रत्येक प्रादेशिक निर्वाचन-क्षेत्र के लिये किसी समय निर्वाचित होने वाले सदस्यों की संख्या का, उस प्रदेश की अन्तिम पूर्ववर्त्ती जनगणना में निश्चित की गई जनसंख्या से, अनुपात, समस्त भारत में जहां तक व्यवहार्य हो, एक ही होगा। यह व्यवस्था की गई है कि निर्वाचन-क्षेत्र एक से होंगे और इसका अर्थ यह है कि यदि संयुक्तप्रान्त में 6¼ लाख औसत परिमाण के निर्वाचन-क्षेत्र निश्चित करते हैं तो, जहां तक व्यवहार्य हो, प्रतिनिधान एक ही होगा। अतः समस्त भारत में समस्त निर्वाचन-क्षेत्र एक से और एक समान होंगे। इसी प्रकार मैं चाहता हूं कि राज्यों (रियासतों) में भी यही हो और जब निर्वाचन-क्षेत्र विभिन्न हैं तो वे लगभग समान हों। मैं समझता हूं कि यदि कुछ प्रान्तों में यह व्यवस्था नहीं की जाती है तो बड़े भयंकर परिणाम होंगे। प्रान्तीय ईर्ष्या हो सकती है जो प्रमुख रूप धारण कर लेगी कुछ लोग आगे बढ़ जायेंगे और वे उन स्थानों की व्यवस्था कर सकेंगे। वे अधिक स्थान बना सकेंगे 10,000 पर एक के हिसाब से और ऐसे स्थल भी हो सकते हैं जहां लोग अधिक स्थान रखना न चाहें और वे दो लाख पर एक स्थान की व्यवस्था करेंगे। श्रीमान्, मैं आशा करता हूं कि सभा इस संशोधन को स्वीकार करेगी, विशेषकर पूर्वी पंजाब और पश्चिमी बंगाल का ध्यान रखते हुए जिन पर विशेष प्रभाव पड़ेगा।

श्रीमान्, मैं यह प्रस्ताव पेश करता हूं।

***उपाध्यक्ष:** संशोधन संख्या 2259 पेश नहीं किया जा सकता है। पर उस पर मत लिया जा सकता है। क्या पंडित ठाकुरदास भार्गव यह चाहते हैं कि इस पर मत लिया जाये?

***पंडित ठाकुरदास भार्गव:** जी, नहीं।

(संशोधन संख्या 2260 और 2261 पेश नहीं किये गये।)

***उपाध्यक्ष:** संशोधन संख्या 2262 शाब्दिक है। उसे पेश नहीं किया जा सकता है।

***पंडित ठाकुरदास भार्गव:** श्रीमान्, आपकी अनुमति से मैं प्रो. शिब्बनलाल सक्सेना के संशोधन संख्या 67 पर एक संशोधन पेश करता हूं:

मेरा संशोधन इस प्रकार है:

"कि अनुच्छेद 149 के खण्ड (3) के पश्चात् निम्न नवीन खण्ड प्रविष्ट किया जाये:

'(4) The ratio between the number of members to be elected at any time for each territorial constituency and the population of that constituency as ascertained at the fresh census mentioned in clause (3) shall so far as practicable be the same throughout the East Punjab and the West Bengal Province.' "

[(4) प्रत्येक निर्वाचन-क्षेत्र के लिये किसी समय निर्वाचित होने वाले सदस्यों की संख्या का, उस प्रदेश की खण्ड 3 में उल्लिखित नई जनगणना में निश्चित की गई जनसंख्या से, अनुपात, समस्त पूर्वी पंजाब और पश्चिमी बंगाल में, जहां तक व्यवहार्य हो, एक ही होगा।]

श्रीमान्, इस संशोधन को पेश करते हुये मैं अपनी बात का आधार अनुच्छेद 67 (3) को बनाता हूं जिसको हम स्वीकार कर ही चुके हैं। मैंने अभी-अभी अपने माननीय मित्र श्री टी.टी. कृष्णमाचारी से एक तर्क सुना था जिसमें उन्होंने यह प्रकट किया था कि वे इस प्रकार से निर्वाचन-क्षेत्रों का प्रबन्ध करना चाहते हैं कि उन निर्वाचन-क्षेत्रों में, जिनमें आने जाने की सुविधा नहीं है, मतदाताओं की

संख्या कम रखी जाय और उन निर्वाचन-क्षेत्रों में जिनमें आने जाने की सुविधायें हैं मतदाताओं की उतनी संख्या न हो। मेरा विनम्र निवेदन यह है कि यह न्याय नहीं होगा। यदि आप समस्त निर्वाचन-क्षेत्रों को एक-सा नहीं बनाते हैं अथवा जहां तक व्यवहार्य्य हो प्रान्तों में एक से निर्वाचन क्षेत्र नहीं बनाते हैं तो बड़ी गड़बड़ी होगी और विद्वेष हो जायेगा। मैं समझता हूं कि जनतन्त्र का वास्तविक अर्थ एक व्यक्ति को एक मत है न कि व्यक्तियों के एक समूह को मतों का एक समूह। क्षेत्रों को हम प्रमाणित नहीं कर रहे हैं वरन्, जनसंख्या के उस अंक को, जो किसी विशिष्ट निर्वाचन-क्षेत्र में किसी उम्मीदवार को दिये जायेंगे, हम प्रमाणित कर रहे हैं। अत: मेरा नम्र निवेदन यह है कि जिस सिद्धान्त को इस सभा ने अनुच्छेद 67 (3) में स्वीकार कर लिया है वही सिद्धान्त पुष्ट है। अन्यथा यह होगा कि पूर्वी पंजाब और पश्चिमी बगाल में ऐसे निर्वाचन-क्षेत्र बनाये जा सकते हैं जो सब सम्प्रदायों के लिये एक से न हों। इससे बहुत अधिक विद्वेष तथा गड़बड़ी होगी। अत: मेरा नम्र निवेदन यह है कि जहां तक पूर्वी पंजाब और पश्चिमी बंगाल का सम्बन्ध है सर्वप्रथम तो इनमें जनगणना की जाये और उसके बाद जहां तक हो सके समान जनसंख्या के निर्वाचन-क्षेत्र बनाना सर्वोत्तम होगा। यदि श्री शिब्बनलाल सक्सेना के मूल संशोधन को यह सभा स्वीकार कर लेती है तो पूर्वी पंजाब और पश्चिमी बंगाल के लिये यह कठिनाई होगी कि अन्तिम जनगणना सही नहीं है और सम्प्रदायों का सही-सही प्रतिशत हिसाब नहीं बताती है। अत: मैंने अपने संशोधन को उस पूर्ववर्त्ती संशोधन के समक्ष लाने के लिये पेश किया है जिसको मैं पहले ही पेश कर चुका हूं कि सर्वप्रथम जनगणना की जाय और तत्पश्चात् निर्वाचन क्षेत्रों का इस प्रकार प्रबन्ध किया जाये कि उनमें जनसंख्या लगभग बराबर बराबर हो।

श्रीमान्, मैं प्रस्ताव पेश करता हूं।

***उपाध्यक्ष:** अब इस अनुच्छेद पर सामान्य वादानुवाद हो सकता है।

***श्री आर.के. सिधवा:** उपाध्यक्ष महोदय, इस अनुच्छेद के खण्ड 3 में मूलत: एक परादिक था कि किसी राज्य की विधान सभा में सदस्यों की समस्त संख्या किसी दशा में भी तीन सौ से अधिक और साठ से कम नहीं होगी। गत वर्ष जब इस परादिक पर विचार किया गया था उस समय, सभा को यह स्मरण होगा कि मैंने इसका बड़ा कड़ा विरोध किया था परन्तु श्रीमान्, उस समय सभा

[श्री आर.के. सिधवा]

ने मेरा साथ नहीं दिया। मुझे बड़ी खुशी है कि विचार करने पर मसौदा-समिति ने स्वयं यह सोचा कि इस परादिक में सुधार करना और तीन सौ शब्दों को हटाकर उसे चार सौ पचास तक बढ़ा देना ठीक है। अब एक यह संशोधन प्रस्तुत किया गया है कि अधिकतम संख्या 500 होनी चाहिये। कम से कम मैं इस बात से प्रसन्न हूं कि यद्यपि इस अधिकतम संख्या के अन्तर्गत पचहत्तर हजार अथवा एक लाख जनसंख्या पर एक सदस्य के हिसाब से तो जनसंख्या के अनुसार पूर्ण विस्तार तथा पूर्ण अवसर नहीं दिया जायेगा परन्तु वह कमी, जो विधान-मण्डल में समान प्रतिनिधान के मार्ग में यथेष्ट रूप से उपस्थित हो जायेगी, दूर कर दी गई है।

इसी प्रकार से श्रीमान्, जब हम विधान-मण्डल की अवधि सम्बन्धी एक खण्ड पर वादानुवाद कर रहे थे जिसको इस सभा ने चार वर्ष के रूप में रखा था मैंने उस अवधि को पांच वर्ष तक के लिये बढ़ाने का संशोधन पेश किया था, परन्तु सभा ने उसे स्वीकार नहीं किया। परन्तु जब हमारा वैधानिक परामर्शदाता विदेशों में गया तो उसको यह मंत्रणा दी गई कि आयरलैंड तथा अन्य देशों में विधान-मण्डल की अवधि पांच वर्ष है और वह प्रस्ताव हमारे समक्ष आया और हमने उसे स्वीकार कर लिया। इससे यह विदित होता है कि हमारे संशोधनों पर गुण दोष के आधार पर नहीं वरन् व्यक्तित्व के आधार पर विचार किया जाता है। जो कुछ हो, परन्तु श्रीमान्, मैं अपने लिये यह श्रेय नहीं चाहता हूं, पर मैं खुश हूं कि पूर्ण विचार के पश्चात् यह संशोधन आज सभा के समक्ष प्रस्तुत किया गया है।

श्रीमान्, यह कहा गया है कि जितनी अधिक सदस्यों की संख्या होगी उतनी ही अधिक कष्ट-प्रदायक सभा हो जायेगी। मैं इस बात को नहीं समझ सकता हूं। यदि तीन सौ संख्या बड़ी नहीं है तो मैं नहीं समझ पाता हूं कि पांच सौ की संख्या किस प्रकार कष्ट-प्रदायक समझी जा सकती है। बड़ी संख्या के प्रति हम क्यों संदेह करें? क्या विदेशों में छह सौ या सात सौ के विधान-मण्डल नहीं हैं? आप इंग्लैण्ड के संसद् के विधान का अनुकरण कर रहे हैं। क्या लोक सभा (हाउस आफ कामन्स) में 600 सदस्य नहीं हैं? मैं यह जानना चाहता हूं कि हानि क्या है, कहां है। यदि ये प्रान्त संयुक्तप्रान्त और मद्रास, जो सबसे बड़े हैं, इसको स्थान

नहीं दे रहे हैं और विधान-मण्डल में प्रतिनिधि भेजने का समान अधिकार नहीं देते हैं तो उनको इतने बड़े बने रहने की कोई आवश्यकता नहीं है। यदि वे जनसंख्या के अनुसार 600 सदस्य नहीं लेते हैं तो उनको विभाजन के लिये तैयार होना चाहिये। श्रीमान्, मेरा यह विचार है कि यदि 75,000 की जनसंख्या पर एक सदस्य होने को है तो संयुक्तप्रांत में स्थानों की संख्या 650 होती है तो 150 सदस्यों को वे इस अधिकार से क्यों वंचित करें। यदि आप अपने प्रान्त में सदस्यों की अधिक संख्या से भयभीत होते हैं तो आपको इस सीमा को 75,000 से 1,25,000 तक बढ़ाने के लिये तैयार होना चाहिये। यह एक अन्य विषय है। जब आप किसी प्रतिशत संख्या अथवा अनुपात को स्वीकार कर लेते हैं तो उसको समान रूप से लागू करना चाहिये और चूंकि आपका प्रान्त बड़ा है इसलिये आपको प्रतिनिधि भेजने के अधिकार से लोगों को वंचित नहीं करना चाहिये। प्रान्तों को प्रत्येक व्यक्ति को सुविधा देने के लिये तैयार होना चाहिये; कोई यह न कहने पाये कि उसके लिये कोई सुविधा नहीं है अत: वह उस संख्या की वृद्धि करने के लिये तैयार नहीं है। ऐसा ही मद्रास के साथ है। यदि वहां जनसंख्या पांच करोड़ है तो सदस्य 500 होने चाहियें। यह सब होते हुये भी मैं वास्तव में बहुत खुश हूं और मैं मसौदा-समिति को बधाई देता हूं कि चाहे इतनी देर के बाद ही समझा हो परन्तु उसने अधिकतम संख्या को बढ़ाने की बुद्धिमत्ता को समझ लिया है। श्रीमान्, जनगणना के बारे में मैं अपने मित्र मि. नज़ीरुद्दीन अहमद के संशोधन का पूर्णतया समर्थन करता हूं तथा मैं उससे भी आगे बढ़ कर अपने मित्र पंडित भार्गव के संशोधन का समर्थन करता हूं। यह बात सभा में कई बार कही जा चुकी है कि आप प्रयाण करने वालों की तथा उन लोगों की संख्या की जो एक प्रान्त से दूसरे प्रान्त को चले गये हैं उपेक्षा नहीं कर सकते हैं और ठीक-ठीक जनगणना किये बिना आप उस वर्ग की सच्ची सेवा नहीं कर सकते हैं जो दुर्भाग्यवश चले आये हैं। मैं जानता हूं कि विधान-परिषद् ने प्रान्तीय सरकारों को यह आदेश दिया हैं कि निवास सम्बन्धी योग्यताओं के न होने पर भी उनके नाम मतदाताओं की सूचियों में लिख लिये जायें, परन्तु, मैं यह भी जानता हूं कि कुछ प्रान्तों में जैसे कि बम्बई में उसका पूर्णतया पालन नहीं किया जा रहा है। वह केवल एक अधिशासी आदेश है और अधिकारी वर्ग उस पर कोई गंभीर विचार नहीं कर रहे हैं क्योंकि वे समझते हैं कि वह एक बड़ी खर्चीली रीति है और जब तक उनको

[श्री आर.के. सिधवा]

इस काम के लिये और गणना करने वालों इत्यादि के लिये पर्याप्त धन नहीं दिया जाता है तब तक पाकिस्तान से आये हुए समस्त शरणार्थियों का जनगणना में रखना सम्भव नहीं है। अत: मैं यह समझता हूं कि यद्यपि इस विषय पर कोई सरकारी घोषणा नहीं है अत: डॉक्टर अम्बेडकर इस विषय पर सरकारी घोषणा करें कि मि. नज़ीरुद्दीन के संशोधन के भी अनुसार, जो मैं समझता हूं कि स्वीकार कर लिया जायेगा, स्थिति क्या होगी? 'अन्तिम जनगणना' यह शब्द कहा गया है। इसका क्या अर्थ है? क्या इसका यह अर्थ होगा कि उन सब लोगों को जो पाकिस्तान से आये हुये हैं वास्तव में मतदाताओं की सूची में सम्मिलित कर लिया जायेगा? यदि यही अर्थ है तो भाषा बहुत स्पष्ट नहीं है और यदि हम विधान में यह रखना नहीं चाहते हैं कि प्रान्तीय सरकारें मतदाताओं की सूचियां बनाते समय इस बात पर ध्यान रखें तो किसी न किसी प्रकार की घोषणा करनी होगी।

श्रीमान्, मैं प्रसन्न हूं कि परादिक में सुधार किया गया है कि संख्या कुछ भी हो सदस्यों का निर्वाचन जनसंख्या के अनुसार होना चाहिये जिसको हम स्वीकार करने वाले हैं अर्थात् 75,000 पर एक प्रतिनिधि। इन शब्दों के साथ-साथ, श्रीमान्, मैं इस अनुच्छेद का समर्थन करता हूं।

*__सरदार हुकम सिंह__ (पूर्वी पंजाब : सिख): उपाध्यक्ष महोदय, मैं अपने आपको श्री ठाकुरदास भार्गव द्वारा पेश किये गये संशोधन तक ही सीमित रखूंगा और मैं उसका पूर्णतया समर्थन करता हूं। यह बहुत ही आवश्यक है कि निर्वाचन करने के पूर्व जनगणना होनी चाहिये। श्री ठाकुरदास भार्गव ने केवल दो प्रान्तों के लिये ही कहा है और यह हम जानते ही हैं कि इन प्रान्तों से बहुत से लोग चले गये हैं। यदि हम पूर्ववर्त्ती अथवा अन्तिम जनगणना पर विश्वास करें तो इन प्रान्तों के साथ बहुत अन्याय होगा। इस अवसर पर मैं सरकार का ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं कि इन प्रान्तों के लिये यह एक अनुचित तथा अन्यायपूर्वक कार्य होने के साथ-साथ, यदि इस अन्तिम जनगणना पर विश्वास किया जायेगा तो वह मेरे सम्प्रदाय अर्थात् सिख सम्प्रदाय के लिये विशेष रूप से हानिकर होगी। क्योंकि यह भली प्रकार से विदित ही है कि पश्चिमी पंजाब से आकर वे केवल पूर्वी पंजाब में ही नहीं बसे हैं। वे और भी आगे बढ़ चुके हैं और बड़ी-बड़ी संख्याओं में दिल्ली तथा संयुक्तप्रान्त तक गये हैं। यदि हम केवल पूर्ववर्त्ती जनगणना पर निर्भर रहें और अभी केवल नई मतदाताओं की सूचियां ही तैयार

करें तो जैसा कि हम नये विधान में प्रस्तावित कर रहे हैं और जैसी मसौदे में अब तक व्यवस्था की गई है स्थानों का आरक्षण किया जायेगा और हम यह भी नहीं जानते कि बाद में इसमें परिवर्तन होगा या नहीं पर इतना हम अवश्य कह सकते हैं कि स्थानों का आरक्षण जनसंख्या के आधार पर होगा और तब तो यह एक बड़ा ही अन्याय होगा। केवल मतदाताओं की सूचियां तैयार करने से उनको पर्याप्त प्रतिनिधान नहीं मिलेगा, क्योंकि दिल्ली और संयुक्तप्रांत में यदि अन्तिम जनगणना पर विश्वास किया जाता है तो उनको कुछ भी प्रतिनिधान नहीं मिलेगा। सरकार से मेरा विनम्र निवेदन यह है कि सबसे पहले जनगणना की जाये और फिर निर्वाचन किये जायें। विशेष कर पंजाब और बंगाल में क्योंकि अन्य प्रकार से केवल अन्याय और अनौचित्य ही नहीं होगा वरन् मेरे सम्प्रदाय को निश्चय ही हानि होगी।

***डॉ. मनमोहन दास** (पश्चिमी बंगाल : जनरल): उपाध्यक्ष महोदय, हमारे मन में अनुच्छेद 149 में 'अन्तिम पूर्ववर्त्ती जनगणना' शब्दों के प्रति कुछ शंकायें उत्पन्न होती हैं। कुछ पूर्ववर्त्ती अनुच्छेदों पर वादानुवाद करते समय माननीय कानून मंत्री ने इस बात को स्पष्ट किया था। हमारे कुछ माननीय सदस्यों ने इस प्रभाव के संशोधन प्रस्तुत किये हैं कि कम से कम पश्चिमी बंगाल और पूर्वी पंजाब के प्रान्तों में नई जनगणना निर्वाचन के पूर्व की जाये। मैं उन तर्कों में जो निर्वाचन से पूर्व नई जनगणना करने के पक्ष में प्रस्तुत किये गये है एक और तर्क बढ़ाना चाहता हूं। श्रीमान्, बंगाल में सन् 1941 की अन्तिम जनगणना के समय कुछ राजनैतिक दलों ने बड़ा उग्र प्रचार किया था। प्रचार का आधार यह था कि राष्ट्र के रूप में हिन्दू अपने नाम के आगे कोई जाति न लिखायें। अत: लगभग 44 लाख हिन्दुओं के सामने कोई जाति नहीं लिखी गई। जनगणना से यह विदित नहीं हो सकता है कि 44 लाख हिन्दुओं का कितना भाग अथवा कितना हिस्सा अनुसूचित जातियों का है और कितना भाग सवर्ण हिन्दुओं का है। अब पश्चिमी बंगाल की अनुसूचित जातियों और सवर्ण हिन्दुओं में वाद-विवाद पैदा हो गया है। सवर्ण हिन्दू यह दावा करते हैं कि सबके सब ये 44 लाख हिन्दू सवर्ण हिन्दू हैं और अनुसूचित जातियां यह दावा करती हैं कि इस 44 लाख का एक सारवत् भाग अनुसूचित जातियों का है।

***श्री मिहिरलाल चट्टोपाध्याय** (पश्चिमी बंगाल : जनरल): मैं यह जान सकता हूं कि क्या किसी मनुष्य के लिये यह आवश्यक है कि जनगणना के समय वह अपनी जाति बताये?

***डॉ. मनमोहन दास:** मैं इस बात को नहीं कह रहा हूं कि किसी व्यक्ति के लिये अपनी जाति बताना आवश्यक है या नहीं।

***उपाध्यक्ष:** क्या आप मुझे कृपा करके कुछ बातें कहने देंगे। इसमें वेदना की एक भावना है और जैसा कि मैं कह चुका हूं कि इस स्थिति की पेचीदगियां चाहे जो कुछ हों परन्तु वेदना की भावना को निकल जाने देना चाहिये। बहुधा जब किसी वेदना को प्रकट कर दिया जाता है तो उसके प्रति लगभग आधा विद्वेष अथवा उसका आधा वेग कम हो जाता है। स्मरण कीजिये कि आपने पांच मिनट मांगे थे और आप पांच मिनट समाप्त कर ही चुके हैं।

***डॉ. मनमोहन दास:** यदि निर्वाचन के पूर्व नई जनगणना की जाती है तब तो हमारा कोई झगड़ा नहीं है परन्तु यदि कुछ कारणोंवश निर्वाचन के पूर्व जनगणना नहीं की जाती है और नये निर्वाचनों के लिये सन् 1941 की जनगणना के उल्लेखपत्रों से ही हमारा पथ-प्रदर्शन किया जाता है तब तो सरकार द्वारा यह प्रश्न हल किया जाना चाहिये। मेरा आशय यह है कि श्रीमान्, इन 44 लाख हिन्दुओं में से कितने सवर्ण हैं और कितने अनुसूचित जातियों के हैं। श्रीमान्, यह अवसर प्रदान करने के लिये मैं आपको धन्यवाद देता हूं।

***श्री रोहिणी कुमार चौधरी:** उपाध्यक्ष महोदय, मैं आशा करता हूं कि माननीय सदस्य मुझे इस बात के लिये क्षमा करेंगे कि मैं इस वादानुवाद में आसाम और केवल आसाम के ही सम्बन्ध में भाषण दूंगा।

माननीय सदस्यों को यह स्मरण कर खुशी होगी कि अभी थोड़े समय पूर्व मैंने एक संशोधन पढ़ कर सुनाया था जिसमें मैंने आसाम के लिये अपवाद करने का निवेदन किया था। मैंने यह अपवाद इस कारण चाहा था कि निर्वाचन-क्षेत्र के लिये एक लाख जनसंख्या की शर्त थी। यदि वह शर्त रहती तो आसाम प्रान्त के लोगों के साथ एक बड़ा अपकार होगा। परन्तु भाग्यवश उस शर्त को उस संशोधन से दूर कर दिया गया जिसको इस सभा ने सहर्ष स्वीकार कर लिया है और जो श्री टी.टी. कृष्णमाचारी ने पेश किया था। स्थिति को और भी अधिक स्पष्ट करने के लिये मैं सभा का ध्यान इस विधान के मसौदे के भाग एक की सूची की सारणी की ओर, जो पृष्ठ 188 पर है आकर्षित करना चाहता हूं। उसमें स्वायत्तशासी मण्डलों को गिनाया गया है। उसमें शिलोंग पर नगर, गारो पहाड़ियों

का जिला, लुशाई पहाड़ियों का जिला, नागा पर्वत, उत्तरी कछार, और नौगांव और शिवसागर जिलों की मिकिर पहाड़ियों को छोड़ कर खासी और जैन्तिया पहाड़ियों का जिला है। खासी और जैन्तिया पहाड़ियों के जिले में और नौगांव और शिवसागर जिलों की मिकिर पहाड़ियों के भाग में भी ऐसी एक बड़ी जनसंख्या है जो वनजाति सम्प्रदाय की नहीं है और यदि अनुच्छेद 149 अपने मूलरूप में रहता तो इन क्षेत्रों के इन गैर वनजाति के लोगों को बहुत अधिक हानि होती। यदि माननीय सदस्य अनुच्छेद 294 के उपखण्ड (5) और (6) की ओर गौर करेंगे तो वे यह देखेंगे–

"(5) आसाम राज्य के किसी स्वायत्तशासी जिले के लिये आरक्षित स्थानों के निर्वाचन-क्षेत्रों में उस जिले से बाहर का कोई क्षेत्र सम्मिलित न होगा।"

अत: यदि स्थिति पूर्ववत् ही रहती तो शिलोंग नगर का कुछ भाग– अर्थात् छावनी तथा शिलोंग का प्रशासन खासी और जैन्तिया पहाड़ियों के जिले के निर्वाचन-क्षेत्र में कदापि नहीं आता।

अनुच्छेद 294 के खण्ड (6) में यह कहा गया है:

"(6) कोई व्यक्ति, जो आसाम राज्य के किसी स्वायत्तशासी जिले की अनुसूचित वनजाति का अंग नहीं है आसाम राज्य की विधान-सभा के लिये, (शिलोंग छावनी और नगर समिति वाले निर्वाचन-क्षेत्र को छोड़ कर) उस जिले के किसी भी निर्वाचन-क्षेत्र से निर्वाचन का पात्र न होगा।"

अर्थात्, यदि किसी भाग में गैर वनजाति लोगों की एक बड़ी जनसंख्या स्वायत्तशासी मण्डल के अन्तर्गत आ जाती है तो उसको नागरिक अधिकार से पूर्णतया वंचित किया जायेगा इस दशा में यदि निर्वाचन में खड़े होने का अधिकार नहीं दिया जाता है तो किसी अधिकार अथवा नागरिक अधिकार का देना ही व्यर्थ है।

जहां तक शिलोंग का सम्बन्ध है, पृष्ठ 188 पर भाग 1 की सारणी में, उसको खासी और जैन्तिया की पहाड़ियों से पृथक् कर दिया गया है। यदि शिलोंग की जनसंख्या 75,000 से कम है तो शिलोंग का कोई पृथक् निर्वाचन-क्षेत्र नहीं होगा। पर इस संशोधन द्वारा जिसको श्री बारदोलोई ने पेश किया है, शिलोंग के लिये

[श्री रोहिणी कुमार चौधरी]

अपवाद कर दिया है। यदि वह खण्ड पूर्ववत् ही रहता तो उस दशा में गैर वनजाति के लोगों को खासी और जैन्तिया की पहाड़ियों में सम्मिलित नहीं किया जाता, और वे पूर्णतया नागरिक अधिकार से वंचित हो जाते। मिकिर पहाड़ियों के सम्बन्ध में भी यही कठिनाई अनुभव की जायेगी क्योंकि यदि उस क्षेत्र को जिसमें केवल मिकिर लोग रहते हैं, अलग कर दिया जाता है तो मिकिर की पहाड़ियों के गैर वनजाति लोग 75,000 नहीं हो पायेंगे।

शिलोंग को इस 75,000 के गुरु के प्रवर्तन से पृथक् कर एक कठिनाई दूर कर दी गई है। उस संशोधन को पेश करने से मेरा उद्देश्य यह था कि इन समस्त झंझटों को दूर करने के लिये आसाम को पूर्णतया एक अपवाद के रूप में रख दिया जाता। पहले भी आसाम को अनेकों विषय में जो उसके पक्ष तथा विरोध के होते थे, परन्तु अधिकतर विपक्ष में ही होते थे, अलग कर दिया जाता था। मैं समझता हूं कि एक बार आसाम को एक प्रान्त मानने में अपवाद किया गया था—ऐसी मंत्रिमण्डल ने सिफारिश की थी। उसी प्रकार से ऐसा अब भी सम्भव हो सकता है और यह अच्छा होगा कि आसाम को पूर्णतया पृथक् कर दिया जाये और मेरे संशोधन को स्वीकार कर लिया जाये। पर मुझसे अधिक बुद्धिमान व्यक्तियों ने यह सोचा कि अच्छा हो यदि मेरा संशोधन पेश न किया जाये और श्रीमान्, मैंने सोचा कि मुझे उनसे सहमत होना ही पड़ेगा।

***उपाध्यक्ष:** श्री चौधरी, आपने मुझे इस बात के लिये धन्यवाद नहीं दिया कि यद्यपि आपने संशोधन पेश नहीं किया, फिर भी मैंने आपके लिये अपवाद किया और आपको बोलने की आज्ञा दी।

***श्री रोहिणी कुमार चौधरी:** धन्यवाद, श्रीमान्, पर मैंने अपने संशोधन पर भाषण नहीं दिया।

***उपाध्यक्ष:** यह ठीक है। मैंने तो केवल सभा के समक्ष अपनी स्थिति स्पष्ट की है। मैंने अपने रीतिविरोधी रूप में माननीय सदस्य को बोलने दिया। रीति का इसलिये उल्लंघन किया गया कि श्री चौधरी को आसाम के क्षेत्रों के बारे में कुछ ऐसी महत्त्वपूर्ण बातें कहनी थीं जिनका श्री बारदोलोई ने उल्लेख नहीं किया था।

मत्स्य-राज्य-संघ के श्री राजबहादुर!

*श्री **राजबहादुर** (मत्स्य-राज्य-संघ): उपाध्यक्ष महोदय, मुझे खेद है कि मुझे उन प्रावधानों का जो प्रान्तों में अवर आगार के लिये प्रतिनिधियों की अधिकतम संख्या विनिहित तथा सीमित करते हैं विरोध करना पड़ रहा है। उनमें 500 की अधिकतम संख्या सीमित की गई है और यह व्यवस्था की गई है कि प्रत्येक एक लाख अथवा 75,000 पर एक सदस्य होगा। लेकिन इस प्रावधान से परस्पर प्रान्तों में लोगों को दिये जाने वाले प्रतिनिधान के अधिकार में असमानता तथा विभिन्नता हो जायेगी। हम आसानी से यह देख सकते हैं कि छोटे-छोटे प्रान्तों में लोगों को प्रतिनिधान के अच्छे अधिकार और इसके फलस्वरूप उत्तम मतदान का अधिकार प्राप्त होगा, अपेक्षाकृत उन प्रान्त के लोगों को जहां जनसंख्या अधिक है। उदाहरणार्थ, यदि हम बिहार और उड़ीसा को लें और इनकी तुलना मद्रास और संयुक्तप्रान्त से करें तो बिहार और उड़ीसा के लोगों को प्रत्येक 75,000 पर एक सदस्य मिलेगा और संयुक्तप्रान्त के लोगों को एक लाख पच्चीस हज़ार अथवा एक लाख पचास हज़ार पर भी कठिनाई से एक सदस्य मिलेगा। मैं निवेदन करता हूं कि यह अच्छा होता कि प्रतिनिधान का यह परिमाण समस्त प्रान्तों में एक-सा तथा समान होता। यह स्पष्ट रूप से वांछनीय है कि हमारे विधान में प्रतिनिधान का परिमाण परस्पर प्रान्तों में अथवा परस्पर राज्यों में भिन्न-भिन्न न हो। यह तर्क भी कि यदि कोई अधिकतम संख्या नियत नहीं की जाती है, तो आगार बहुत बड़े हो जायेंगे, मैं समझता हूं कि मेरे सुझाव का खण्डन नहीं कर पाता है। हम देखते हैं कि इंग्लैंड में हाउस ऑफ कामन्स में 640 सदस्य हैं और 300 वर्ष का अनुभव भी इस संख्या को संसार के सबसे प्राचीन जनतंत्रात्मक राज्य में कष्टकारक अथवा बहुत बड़ा सिद्ध नहीं कर पाया है। अत: इस प्रकार का विचार प्रस्तुत करना कि संयुक्तप्रान्त और मद्रास के लोगों को सदस्यों की पूर्ण संख्या देनी चाहिये, जिसकी गणना एक लाख अथवा 75,000 जनसंख्या पर एक सदस्य के आधार पर हो, अयुक्तियुक्त नहीं हो सकता है। श्रीमान्, मैं यह सब इसलिये निवेदन कर रहा हूं कि एक ऐसे राज्य का सदस्य होने के नाते, जिस पर इस प्रावधान का घातक प्रभाव पड़ेगा, मैं इस विषय से रुचि रखता हूं। जो राज्य संयुक्तप्रान्त में सम्मिलित हो चुके हैं या सम्मिलित होने

[श्री राजबहादुर]

वाले हैं, उन सबको इस विषय में रुचि है; क्योंकि यदि आप उदाहरण के लिये संयुक्तप्रान्त और मद्रास में 500 की अधिकतम संख्या में स्थानों को सीमित करते हैं तो उन राज्यों के व्यक्तियों को जो इन प्रान्तों में सम्मिलित होने का विचार रखते हैं स्पष्टतया हानि होगी। परंपरा, इतिहास, देहाती संगीत, संस्कृति और भाषा के आधार पर भरतपुर और धौलपुर के लोग संयुक्तप्रान्त के लोगों के साथ रहना चाहते हैं। यदि भरतपुर और धौलपुर के लोगों को आत्मनिर्णय का अधिकार दिया जाता है, जिसके लिये मुझे विश्वास है कि इस सभा का कोई भी सदस्य मना नहीं करेगा और यदि वे संयुक्तप्रान्त में मिलना चाहते हैं, तो यह न्याय नहीं होगा कि सब के सब 500 स्थान संयुक्तप्रान्त की वर्तमान जनसंख्या द्वारा भर लिये जायें और भरतपुर अथवा धौलपुर अथवा अन्य किसी राज्य के लोगों को जो संयुक्तप्रान्त में मिलना चाहते हैं, विधान-मण्डल में प्रतिनिधान के अधिकार से वंचित किया जाये।

दूसरा प्रश्न उन राज्यों के सम्बन्ध का है जो प्रथम निर्वाचन के पश्चात् सम्मिलित होंगे। हम जानते हैं कि हमारे प्रान्तों की सीमायें अभी निश्चित नहीं हैं। प्रतिदिन के अनुभव से हमें यह प्रतीत होता है कि कुछ प्रान्तीय सीमाओं में परिवर्तन करना होगा और उसके फलस्वरूप कुछ क्षेत्रों की जनसंख्या पर प्रभाव पड़ेगा। अत: मैं निवेदन करता हूं कि यदि कोई अधिकतम संख्या नियत न की जाय तो अच्छा है। जब कि अनुच्छेद 291 और 312 के अन्तर्गत निर्वाचन-क्षेत्रों की सीमायें निश्चित करना और अन्य समनुवर्त्ती विषयों का निर्णय करना प्रान्तीय सरकारों की स्वेच्छा पर छोड़ दिया गया है, तो उचित यही होगा कि विधान-मण्डलों में सदस्यों की अधिकतम संख्या को नियत करना भी सम्बद्ध प्रान्तों अथवा राज्यों की स्वेच्छा पर छोड़ दिया जाये।

इसके पश्चात् मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि अनुच्छेद 149 के खण्ड (2) में दी हुई मतदाताओं की निर्योग्यताओं को व्यापक बना दिया गया है। हम देखते हैं कि इन आधारों को कुछ प्रतिबन्धों तक ही सीमित किया गया है और मैं समझता हूं कि, इस सम्बन्ध में, उपयुक्त खण्ड में उल्लिखित आधारों तक ही

प्रान्तों में विधान-मण्डलों की शक्तियों और अधिकारों को भी आमंत्रित किया गया है। परन्तु यह हो सकता है कि राज्य के प्रति विश्वासघात, राजद्रोह, अनुन्मुक्त दिवाला अथवा निरक्षरता को इन आधारों में सम्मिलित किया जा सके। अतः यह अच्छा होता यदि इन आधारों की सूची को व्यापक न बनाया जाता वरन् केवल निदर्शी बनाया जाता।

अन्त में मुझे यह निवेदन करना है कि जहां तक प्रो. के.टी. शाह द्वारा पेश किये संशोधन का सम्बन्ध है, मैं उसकी स्वीकृति का कोई आधार नहीं देख पाता हूं। किसी मतदाता को निर्योग्य करने के लिये शारीरिक कमी अथवा मानसिक विक्षप्ति के कोई प्रमाणपत्र की आवश्यकता नहीं है। जब निर्योग्यता के आधार विधान में अथवा प्रान्तीय अधिनियमों में दिये हुये हैं तब इस प्रकार के प्रावधान की कोई आवश्यकता नहीं है। अपनी पहली दो बातों को दुहराते हुये मैं फिर यह निवेदन करता हूं कि प्रान्तों और राज्यों की बदलती हुई सीमाओं को विचार में रखते हुये मेरी बातों पर अब भी विचार किया जा सकता है।

***पंडित लक्ष्मीकान्त मैत्र** (पश्चिमी बंगाल : जनरल): उपाध्यक्ष महोदय, अनुच्छेद 149 के वादानुवाद के मध्य में मेरी समझ से अचानक ही एक बड़े महत्त्व का विषय उपस्थित कर दिया गया है और सौभाग्य से अनेक माननीय सदस्यों ने उस विषय के महत्त्व को स्वीकार किया है और उस पर अपने विचार प्रकट किये हैं।

श्रीमान्, विशेषतया दो ऐसी बातें हैं जिन पर केवल सदस्यों को ही नहीं वरन् उनको भी जो अधिकारी हैं गंभीर विचार करने की आवश्यकता है। वर्तमान दशा में 'अधिकारी' से मेरा आशय अपने माननीय मित्र डॉ. अम्बेडकर, इस विधेयक के प्रभारधारी माननीय मंत्री, विधेयक से मेरा आशय विधान के मसौदे से है।

***श्री एच.वी. कामतः** यह विधेयक नहीं है।

***पं. लक्ष्मीकान्त मैत्रः** मैं यह जानता हूं। परन्तु डॉ. अम्बेडकर ही ऐसे सदस्य हैं जो इस कार्य का सभा में संचालन कर रहे हैं अतः समस्त यश तथा अपयश उनके लिये ही है। और मैं उनको सचेत करता हूं कि यदि कुछ ऐसे विषय हैं,

[पं. लक्ष्मीकान्त मैत्र]

जिनके कारण उनकी उज्जवल कीर्ति को धब्बा लग सकता है, तो वे थोड़ी देर के लिये वार्तालाप बन्द करके मेरी बात सुनें।

श्रीमान्, वे दो बातें केवल जिन पर मैं अपने विचार प्रकट करूंगा ये हैं— पहली जनसंख्या के कुछ आंकड़ों पर आश्रित प्रान्तीय विधान-मण्डलों में प्रतिनिधान और दूसरी समानता का सिद्धान्त। प्रतिनिधान की संख्या के साथ-साथ इस विषय में और भी अधिक महत्त्वपूर्ण तथा उससे संगत अन्य आवश्यक सिद्धान्त निहित है, वह यह कि जनसंख्या पर आश्रित प्रतिनिधान के परिमाण के सम्बन्ध में पूर्ण समानता होनी चाहिये।

इस सम्बन्ध में दो संशोधन पेश किये गये हैं, एक पंडित ठाकुरदास भार्गव द्वारा जिसमें प्रोफेसर शिब्बनलाल सक्सेना द्वारा पेश किये संशोधन में और भी अधिक संशोधन करने का प्रयास किया गया है। जब इन दोनों संशोधनों को मिलाकर पढ़ा जायेगा तो यह अनुभव किया जायेगा कि इन संशोधनों द्वारा जिन बातों का प्रयास किया गया है वे कोई अनोखी बातें नहीं हैं, वरन् कोरा न्यूनातिन्यून न्याय है। सर्वसम्बन्धी राजनैतिक न्याय है। जनतन्त्रात्मक राज्य में प्रतिनिधान के तंत्र को किसी अनिश्चित अथवा फिसलने वाली आधारशिला पर स्थापित नहीं किया जा सकता है। कोई एक अथवा अनेक निश्चित सिद्धान्त होनें चाहिये जिन पर प्रतिनिधान की समस्त योजना स्थापित की जाये। उसको इस प्रकार स्थापित करना चाहिये कि गणतन्त्र के सामान्य विचार में कमी न हो। मैं समझता हूं कि इस प्रस्तावना पर कोई चुनौती नहीं दी जा सकती है।

अब आइये हम यह देखें कि यदि अनुच्छेद 149 को यह सभा इसी रूप में स्वीकार कर लेती है, जिस रूप में कि वह है तो उसका भारतीय अधिराज्य के कुछ भागों तथा अधिराज्य के अन्तर्गत कुछ राज्यों पर कैसा प्रभाव पड़ेगा। कहने के लिये तो यह ठीक है कि प्रतिनिधान उस जनसंख्या के आधार पर किया जायेगा जो अन्तिम पूर्ववर्ती जनगणना में निश्चित की गई है। सैद्धान्तिक रूप से तो यह पूर्णतया निरअपवादनीय है बशर्ते कि सरकार निर्वाचनों के लिये उस समय तक प्रतीक्षा करे जब तक कि देश में सामान्य जनगणना न हो जाये। दसवर्षीय

जनगणना एक वर्ष पश्चात् सन् 1950 में होगी। यदि उसको करना है और वह भी यदि गंभीरतापूर्वक ही करना है तथा इस प्रकार से करना है कि सन् 1950 के समाप्त होने के पूर्व वह पूरी हो जाये, तो उसकी तैयारी अभी से अथवा 6 माह बाद से प्रारम्भ कर देनी चाहिये। किसी पूर्व अवसर पर किसी पूर्व अनुच्छेद के सम्बन्ध में मैंने बड़े विस्तारपूर्वक उन संकटों और कठिनाइयों की व्याख्या की थी जो पूर्ववर्ती जनगणना के आंकड़ों को जिसका अर्थ समस्त व्यावहारिक प्रयोजनों के लिये सन् 1941 की जनगणना के आंकड़े ही होगा—मान लेने से कुछ प्रान्तों को अर्थात् पश्चिमी बंगाल, भारत के पूर्वी पंजाब, मम्बई और दिल्ली को भुगतनी पड़ेगी। इसमें संदेह नहीं कि वर्तमान संशोधन केवल दो प्रान्त पश्चिमी बंगाल तथा पूर्वी पंजाब के सम्बन्ध में है। सभा को यह याद होगा कि पश्चिमी बंगाल और पूर्वी पंजाब सहित इन चार प्रान्तों के सम्बन्ध में मैंने जोरदार शब्दों में यह घोषणा की थी और मुझे खुशी है कि उस घोषणा के बाद भाषण देने वाले अनेक सदस्यों ने मेरा समर्थन किया था। वह घोषणा यह थी कि नई योजना के अन्तर्गत प्रतिनिधान के सम्बन्ध में सन् 1941 की जनगणना के अंकों पर निर्भर होना व्यर्थ सा होगा। इस देश में ऐसा कौन है, कम से कम इस सभा में ऐसा कौन है जो यह नहीं जानता कि कुछ प्रान्तों के जनगणना के अंकों में राजनैतिक सुधारों की अनुवर्ती स्थिति में राजनैतिक लाभ उठाने के उद्देश्य से गड़बड़ी की गई थी? यह सबको विदित ही है, फिर क्या यह आवश्यक है कि चाहे अवसर हो अथवा न हो, पर मैं सभा में तत्सम्बन्धी प्राधिकारियों के लिये इस बात को दुहराता रहूं? इस स्थिति को स्पष्ट रूप में समझ लेना चाहिये। अब हमें शुद्ध अन्तःकरण से कार्य आरम्भ करना हैं। (इस समय सभा आगार में बत्तियां बुझ गईं।) सर्वत्र अन्धकार ही अंधकार है। यदि यही राजनैतिक अन्याय उनके साथ किया गया तो मुझे पश्चिमी बंगाल तथा पूर्वी पंजाब के लिये अंधकार के अतिरिक्त और कुछ दिखाई नहीं देता है।

***उपाध्यक्षः** जहां तक सम्भव होगा बत्ती जलाने के सम्बन्ध में आवश्यक कार्य किया जायेगा। पंडित मैत्र, आप अपना भाषण जारी रखें।

***पंडित लक्ष्मीकान्त मैत्र:** कठिनाई यह है कि जिनको मैं सम्बोधन कर रहा हूं वे मुझे दिखाई नहीं देते हैं।

***माननीय सदस्यगण:** आपको हमारे चेहरे देखने की आवश्यकता नहीं है।

***पंडित लक्ष्मीकान्त मैत्र:** कभी चेहरे देखने से प्रोत्साहन मिलता है। श्रीमान्, सभा को यह विदित है कि केन्द्रीय विधान-मंडल और भारतीय संसद् के सम्बन्ध में अनुच्छेद 67 में प्रतिनिधान के इस सिद्धान्त को स्वीकार कर लिया है। अब जो संशोधन पेश किये गये हैं, उनमें प्रान्तीय विधान-मण्डल के इस प्रतिनिधान को उस प्रतिनिधान के समान बनाने का विचार रखा गया है, जो संसद् के लिये इस सभा ने व्यवस्था कर स्वीकार किया है। श्रीमान्, जिन तर्कों को मैंने गत अवसर पर प्रस्तुत किया था उनको अब दुहराने की आवश्यकता नहीं है, परन्तु कुछ को तो यहां दुहराना ही पड़ेगा।

मेरे अभागे प्रान्त पश्चिमी बंगाल तथा पूर्वी पंजाब के सम्बन्ध में भी मैं चाहता हूं कि सभा यह अनुभव करे कि इतनी अधिक संख्या में लोगों के स्थानान्तर गमन को, जो इन दो प्रान्तों में हुआ है, सरकारी रूप में अभिज्ञात कर देना चाहिये। उनको सहायता देने तथा पूर्वस्थिति में लाने के कार्य को कुछ सीमा तक अभिज्ञात कर लिया गया है, परन्तु राजनैतिक समायोजन के लिये, राजनैतिक अधिकार तथा मताधिकार प्रदान करने के लिये समान रूप से अभिस्वीकरण आवश्यक हैं। मैं इसे पूर्वस्थिति में लाने के प्रश्न से अधिक आवश्यक समझता हूं। आप लोगों को पूर्वस्थिति में तब तक नहीं ला सकते हैं, जब तक कि उसके साथ-साथ आप उन को राजनैतिक अधिकार तथा देश के भावी शासन में विशेषाधिकार न दें। अत: श्रीमान्, मैं समझता हूं कि इस सभा के दबाव द्वारा अधिकारियों को इस प्रश्न का निर्णय करना चाहिये। इस विषय में अब अधिक टालमटोल नहीं होनी चाहिये। समस्या बड़ी सरल है, वह यह है कि पश्चिमी बंगाल प्रान्त के लिये सन् 1941 की जनगणना को हमने स्वीकार नहीं किया है। यह पूर्वी पंजाब के लिये भी सच है। पश्चिमी पंजाब में कोई भी हिन्दू नहीं रहा और इसी प्रकार पूर्वी पंजाब में कोई मुसलमान नहीं रहा। अत: पूर्वी पंजाब के लिये सन् 1941 की जनगणना के अंक किसी रूप में भी वास्तविक स्थिति के परिचायक नहीं हो सकते हैं। पश्चिमी बंगाल के सम्बन्ध में मैं यह बता चुका हूं और एक बार और बताये देता हूं कि

स्थानान्तरगमन सन् 1947 से ही आरम्भ नहीं हुआ है, परन्तु 1941 के अन्त से ही आरम्भ हो गया था जब कि जापान ने ग्रेट ब्रिटेन से युद्ध छेड़ दिया था। पूर्वी बंगाल के बड़े-बड़े क्षेत्रों को, जो अब पूर्वी पाकिस्तान में हैं, अनेक सैनिक तैयारियों के लिये जैसे कि हवाई अड्डों का निर्माण तथा अन्य सैनिक व्यवस्थाओं के लिये सैनिक अधिकारियों के आदेशों से खाली कराया गया था। इन क्षेत्रों को बिल्कुल खाली कराया गया और वहां के लोगों को अपने जीवनयापन के साधन खोजने के लिये पश्चिमी बंगाल में विशेषकर कलकत्ता और कलकत्ता के निकटवर्ती स्थानों में औद्योगिक क्षेत्रों में जहां कई उत्पादन केन्द्र खोल दिये गये थे खदेड़ा गया था। चटगांव, टिपेरा, चांदपुर इत्यादि क्षेत्रों से हजारों व्यक्ति सपरिवार पश्चिमी बंगाल में जापानी बमों से अपनी रक्षा करने के लिये आये, जो उन क्षेत्रों में गिराये गये थे और जिनका अनुभव करना कोई हंसी-खेल न था। इसके बाद सन् 1943 का भयंकर अकाल पड़ा। केवल मेरे प्रान्त पर ही लगातार एक-एक करके अनेक कष्ट आये, परन्तु फिर भी मेरा प्रान्त जीवित रहा। आप उसको जीवित रखना चाहते हैं या उसे कोई घातक धक्का देकर सदैव के लिये मिटाना चाहते हैं? क्या आप पश्चिमी बंगाल को न्यूनातिन्यून राजनैतिक न्याय देना चाहते हैं या नहीं? मैं यह साधारण प्रश्न आपके सम्मुख रखता हूं और इनका ठीक उत्तर चाहता हूं। श्रीमान्, सन्, 1943 के अकाल ने रोटी की तलाश में लाखों आदमी पूर्वी बंगाल से पश्चिमी बंगाल में कर दिये। आज भी पश्चिमी बंगाल में चावल की कीमत 16 या 17 रुपये मन है जब कि पूर्वी बंगाल में जो कि बंगाल का धानागार समझा जाता है उसकी कीमत लगभग 50 रुपये मन है। उन दिनों पूर्वी बंगाल के जनशून्य स्थानों की अपेक्षा पश्चिमी बंगाल में रोटी कमाने के अच्छे अवसर थे। हम यह नहीं जानते हैं कि इस समय जनसंख्या की स्थिति क्या है। अकाल-कमीशन ने मृतकों की संख्या 30 लाख बताई है। प्रत्येक सम्प्रदाय इस बात का दावा करता है कि उसके सम्प्रदाय की सबसे अधिक क्षति हुई है।

***एक माननीय सदस्यः** अनुसूचित जातियों को सबसे अधिक क्षति हुई है।

***पंडित लक्ष्मीकान्त मैत्रः** मैंने इस बात को विश्वस्त सूत्रों से सुना है कि अनुसूचित जातियों को सबसे अधिक क्षति हुई है। यह सच है। स्त्रियों और बच्चों

[पं. लक्ष्मीकान्त मैत्र]

की सबसे अधिक क्षति हुई है। मेरे विचारों का पूर्ण आशय यह है कि इस प्रान्त में पूर्ववर्ती जनगणना के पश्चात् परिस्थितियों में वर्ष प्रति वर्ष इतना परिवर्तन हुआ है कि यदि इन जनगणना के आंकड़ों में दिये गये अनुपातों में यदि कोई यथार्थता थी भी, तो वह सबकी सब जाती रही। इसके पश्चात् देश का विभाजन हुआ और बंगाल का पूर्वी और पश्चिमी बंगाल में विभाजन हुआ। सभा को यह विदित है कि बंगाल का अविभाजित प्रान्त तीन भागों में बांट दिया गय—पश्चिमी बंगाल, पूर्वी बंगाल और उत्तरी बंगाल। जलपैगुरी और दार्जिलिंग के जिले पश्चिमी बंगाल को दे दिये गये। उसके बीच में पाकिस्तानी राज्य-क्षेत्र का कुछ अंग आ गया है और इस पाकिस्तानी क्षेत्र से उत्तरी क्षेत्र में तथा समस्त दक्षिणी भाग में लोग बराबर आ रहे हैं।

***उपाध्यक्षः** मुझे इस बात का भय है कि हम दोनों एक प्रान्त के हैं और मैं आपके विचारों से सहमत हूं, इस कारण सदस्य यह न कहें कि मैंने पक्षपात किया। यह बड़ी कठिन परीक्षा है जिससे मैं बचना चाहूंगा।

***पंडित लक्ष्मीकान्त मैत्रः** अध्यक्ष के लिये मैं कोई कष्ट पैदा करना नहीं चाहता हूं। जहां तक मेरा सम्बन्ध है, संसदीय कार्यवाहियों में मैं कोई नौसिखिया नहीं हूं और मैं सभा से सभा से क्षमा चाहता हूं। यदि सभा यही चाहती है, तो मैं अपना भाषण समाप्त कर दूंगा।

***माननीय सदस्यगणः** भाषण जारी रखिये, भाषण जारी रखिये।

***उपाध्यक्षः** अब ठीक है। आप भाषण जारी रख सकते है।

***पंडित लक्ष्मीकान्त मैत्रः** लोग अब भी आ रहे हैं और यदि अधिकारी-वर्ग पूर्वी बंगाल से आये हुये अभागे दुखियों के प्रति किसी उत्तरदायित्व से बचना चाहते हैं, तो उनको पूर्ण अधिकार है कि वे इन आंकड़ों पर झगड़ा करें, परन्तु यह बात सत्य है कि लोग अब भी आ रहे है। क्या मेरे माननीय मित्र डॉक्टर अम्बेडकर, जो इस समस्त दृश्य के नायक हैं, इस बात से परिचित हैं कि भारतीय संघ में लाखों अनुसूचित जातियों के लोग आ रहे हैं? मुझे विश्वास है कि वे इस बात से परिचित हैं। निष्पक्ष विचार करने के लिये मैं उनका सहारा लेता हूं, क्योंकि यहां वे ही एक ऐसे व्यक्ति हैं जिनका हम बहुत शीघ्र सहारा ले

सकते हैं और कदाचित् वही सहारा सार्थक भी हो। वही इसकी गम्भीरता को समझ सकते हैं और वही उन लोगों से जो उनसे मतभेद रखेंगे, यह कह सकते हैं कि यह एक ऐसा विषय है जिसको गम्भीरतापूर्वक हल करना चाहिये। कुछ लोग कहते हैं कि आने वालों की संख्या 15 लाख है। हमारे पास भी उनकी संख्या है, परन्तु पश्चिमी बंगाल की सरकारी संख्या 20 लाख है।

***उपाध्यक्षः** अभी वह 20 ही लाख है?

***पं. लक्ष्मीकान्त मैत्रः** मैं अधिकारी वर्ग की जहां तक हो सके वहां तक कम संख्या देने की स्थिति को समझ सकता हूं, पर सत्य बात यह है कि पाकिस्तान में हमारे मित्रों के अति विनम्र व्यवहार के कारण कम से कम 20 लाख लोगों को तो भारतीय संघ में खदेड़ दिया गया है और मुझे पूरा विश्वास है कि और लोग आते रहेंगे। पर सारी बात यह है कि क्या इन लोगों को ऐसी आपत्तिजनक स्थिति में ही छोड़ देना है? उन्होंने अपने घरबार छोड़ दिये हैं। वे अपना सर्वस्व त्याग चुके हैं। मैं पश्चिमी बंगाल के सम्बन्ध में कह रहा हूं, क्योंकि पंजाब की दशा तो भली प्रकार विदित है। वे सब बेघर हो चुके हैं और यहां आये हुए हैं परन्तु जो कुछ वहां हो रहा है उसको कम सोचा-समझा जा रहा है क्योंकि उससे सम्बन्धित घटनाओं का इतना नाटक नहीं किया जा रहा है। जब कि इन लोगों ने इस संघ में अपने भाग्य को हमारे ऊपर छोड़ दिया है और जब वे यहां बस गये हैं और जब वे चाहते हैं कि वे भारतीय संघ के अंग बनें, तो क्या इन लोगों को कोई राजनैतिक न्याय तथा कोई प्रतिनिधान नहीं मिलेगा? उन्होंने अपने तरीके से स्वतन्त्रता के संघर्ष में भाग लिया, उन्होंने त्याग भी किये, जिनकी किसी प्रकार से भी उपेक्षा नहीं की जा सकती है। कहने के लिये तो आप यह कह सकते हैं कि यदि पूर्वी पंजाब और पश्चिमी बंगाल की जनगणना की जायेगी, तो निर्वाचन में एक वर्ष की और देर होगी। पर उससे हानि क्या होगी? क्या आप लाखों लोगों को देश के विधान-मण्डलों में प्रतिनिधि भेजने के विधिवत् अधिकार से वंचित रखना चाहते हैं? क्या आप न्याय को त्याग कर शीघ्रता करना चाहते हैं? इन साधारण प्रश्नों का आपको उत्तर देना है। क्या इन लोगों को त्याग कर हम जल्दी निर्वाचन करने के लिए उत्सुक हैं? इसका आपको उत्तर देना है। मुझसे यह कहा गया है कि कोई अनुभव सिद्ध रीति खोज ली गई है, जिसके द्वारा मतदाताओं की सूचियां तैयार होती चली जायेंगी और उसके पश्चात् उसमें दो का गुणा कर दिया

[पं. लक्ष्मीकान्त मैत्र]

जायेगा और जनसंख्या विदित हो जायेगी। इस काम को सीधे-सीधे क्यों नहीं करते और सामान्य जनगणना क्यों नहीं करते? विधान को अन्तिम रूप देना है और किसी दशा में भी अगस्त से पूर्व यह नहीं हो सकता है—अभी तीसरा पारायण है और भी काम हैं। इसके पश्चात् उसके प्रवर्तन करने की तिथि है और फिर निर्वाचन-क्षेत्रों की सीमायें स्थिर करने की तिथि है। यदि आप अभी से आरम्भ करें तो आप इस प्रान्त की जनगणना कर सकते हैं। यदि आप यह नहीं कर सकते हैं तो उस दशा में आपको इन अभागे पश्चिमी बंगाल और पूर्वी पंजाब प्रान्त के लिए कुछ प्रबन्ध करना चाहिए। आपकी जनगणना के आंकड़े इनके लिए उपयुक्त नहीं हो सकते हैं क्योंकि आप चाहते हैं कि निर्वाचन अभी किये जायें।

श्रीमान्, एक माननीय मित्र के प्रेक्षण ने, जो उन माननीय सदस्य से अधिक सम्पर्क रखते हैं जिन पर इस विधेयक का प्रभार है, हमारे मस्तिष्क में एक प्रकार का आश्चर्य उत्पन्न कर दिया है। उनका ऐसा विचार प्रतीत होता है कि देश के विभिन्न भागों के अनुसार प्रतिनिधान के माप में परिवर्तन किया जा सकता है, क्योंकि कुछ भाग आने-जाने के साधनों से परिपूर्ण हैं और कुछ भाग परिपूर्ण नहीं हैं। इसका आशय यह है कि उनके विचार के अनुसार—जो मेरा विश्वास है कि सरकारी रूप में समझा जायेगा और मुझे यह भी पता नहीं है कि कहीं यह सरकारी विचार पर कटाक्ष तो नहीं है—वहीं 50,000 लोगों को एक सदस्य का प्रतिनिधान मिल जायेगा तो कहीं 1,20,000 लोगों को एक सदस्य भेजने का अधिकार होगा। यह अन्याय की पराकाष्ठा होगी। प्रजातन्त्र में एक व्यक्ति तथा एक मत का अनुपात समान होना चाहिये। इस समानता में अन्तर आ जाता है, यदि कहीं पर 50,000 व्यक्तियों से एक सदस्य चुनने के लिए कहा जाये और कहीं पर 1,20,000 व्यक्तियों से एक सदस्य चुनने के लिए कहा जाये। इसमें बहुत अन्तर है। अत: इससे समस्त पूर्वी पंजाब और पश्चिमी बंगाल में बहुत असंतोष फैल जायेगा। यह असंतोष कटुता की सीमा तक पहुंच सकता है और मैं इस विधेयक के माननीय प्रवर्तक डॉ. अम्बेडकर से निवेदन करता हूं कि वे इस बात का प्रयत्न करें कि इस असंतोष को किस प्रकार मिटाया जा सकता है। जिससे कि हम इस कार्य को पूर्ण बन्धुत्व, सहयोग और सद्भावना से कर सकें। उन व्यक्तियों के हृदयों में अन्याय की किंचित मात्र भावना न रहने दीजिये, जो न्याय के इस अल्पांश के लिए कोलाहल करते हैं। इन दो संशोधनों में यह व्यवस्था की

गई है कि इस प्रतिनिधान को केवल जनसंख्या के आंकड़ों पर ही निर्भर न किया जाये, वरन् ये आंकड़े उस जनगणना के अन्तिम आंकड़े हों जिसको किया जायेगा, चाहे वह एतदर्थ जनगणना ही हो। किसी दशा में भी सन् 1941 की जनगणना के आंकड़े इन क्षेत्रों की वास्तविक जनसंख्या के प्रतीक नहीं होंगे। जनसंख्या में बहुत परिवर्तन हो चुका है। यह एक बात हुई।

दूसरी बात यह है कि एक स्थान से दूसरे स्थान के निर्वाचन-क्षेत्रों में ऐसा कोई अन्तर नहीं रखना चाहिये कि उनकी जनसंख्या में परस्पर कोई अन्तर हो। यदि आप 75,000 के लिए अथवा एक लाख के लिए एक स्थान नियत करते हैं, तो सब प्रकार से यह देखने का प्रयत्न करना चाहिये कि समस्त भारत के प्रत्येक निर्वाचन-क्षेत्र में एक लाख व्यक्तियों अथवा 75,000 व्यक्तियों के लिए एक सदस्य हो। परन्तु इस प्रकार से तो न्याय का खून किया जायेगा कि एक लाख पर भी एक सदस्य हो और 50,000 पर भी एक। इस प्रकार से तो चुनावों में धोखा देने का बड़ा विस्तृत क्षेत्र हो जायेगा। मैं समझता हूं कि मुझे अन्तिम चेतावनी दे देनी चाहिये कि इस बात को रोका जाये। अधिकारियों को निश्चय करके यह घोषणा कर देनी चाहिये कि जहां तक इन दो प्रान्तों का सम्बन्ध है, सन् 1941 की जनगणना के आंकड़े काम में नहीं लाये जायेंगे और इस विशेष अनुच्छेद के प्रवर्तन करने के पूर्व या तो नई जनगणना की जायेगी और या किसी नये तन्त्र का इन दोनों प्रान्तों—पश्चिमी बंगाल और पूर्वी पंजाब—की जनसंख्या के वास्तविक आंकड़ों को निश्चित करने के लिए प्रयोग में लाया जायेगा।

श्रीमान्, पं. ठाकुरदास भार्गव द्वारा संशोधित रूप में प्रो. सक्सेना के संशोधन का मैं पूर्ण हृदय से समर्थन करता हूं। श्रीमान्, आपको तथा सभा को मैं धन्यवाद देता हूं।

तत्पश्चात् शुक्रवार, 7 जनवरी, सन् 1949 के प्रातः 10 बजे तक परिषद् विसर्जित हुई।